कुरुक्षेत्र

जुलाई 1984

मूल्य : 1.50 रु०

संपादकीय

श्वेत क्रांति संपूर्ण ग्रामीण आर्थिक क्रांति का सोपान बन सकती है

गांवों में दुधारू पशुओं का पालन करने की आर्थिक क्रिया मोटे तौर पर चार रूपों में विद्यमान है। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास दुधारू पशु खरीदने के लिए पैसा नहीं होता। वे दुग्धावधि के अन्तिम भाग में कुछ थोड़ा दूध देने वाले पशु-भैंस या गाय हिस्से (बटाई) पर लेते हैं और उन्हें नई दुग्धावधि तक पाल कर अपने हिस्से का लाभ ले लेते हैं। कुछ लोग अपने पास से किसी तरह पैसे उधार या नकद जुटा कर भी इस तरह गाय, भैंस पालते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो दूधियों (दूध खरीद कर शहरों को सप्लाई करने वाले केन्द्रों पर देने वाले) से रुपया लेकर दुधारू पशु खरीदते हैं और दूध बेच कर उस पैसे से उऋण होते हुए कुछ थोड़ा लाभ अर्जित कर लेते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं (जिनकी संख्या बहुत कम है) जो खुद के पैसों से दुधारू पशु खरीदतें हैं तथा कुछ अच्छा लाभ कमा लेते हैं। चौथे ऐसे लोग हैं जो दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के सदस्य हैं और उनकी समितियों ने मिलकर जिला स्तर के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ बनाए हैं। जो, अपने डेयरी संयंत्र चलाते हैं। दूध का परिष्करण कर दूध उत्पादों का निर्माण करते हैं। नई-नई तकनीक का उपयोग करते हैं। उनके पास पशुओं की परवरिश, संतुलित पशु खाद्य, दुग्धवर्धक बांट, अच्छा चारा, कृत्रिम गर्भाधान आदि की सुविधाएं अपने सदस्यों के दुधारू पशुओं के लिए उपलब्ध हैं। इस श्रेणी के दुधारू पशुपालक आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्षेत्रों में ही अधिकांशतः मिलेंगे जो अभी कम जिलों तक ही सीमित हैं। अधिक जमीन वाले कम संख्या में ही डेयरी का धंधा करते हैं। उनका मुख्य धंधा कृषि ही होता है। ज्यादातर वे अपने परिवार के खर्च भर का दूध पैदा करते हैं। पहली दो श्रेणियों के दुधारू पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिलता क्योंकि बटाई पर पशु देने वाले और पशु खरीदने के लिए रुपया देने वाले उनका लाभ चट कर जाते हैं। साथ ही इनको पशु पालने के लिए बड़ा अपमानित जीवन भी व्यतीत करना पड़ता है। तीसरी श्रेणी के दुधारू पशुपालकों को यद्यपि कुछ आर्थिक लाभ तो मिल जाता है लेकिन अपमानित रूप से उन्हें भी जीवन व्यतीत करना पड़ता है।

अब प्रश्न यह सामने आया कि अपमानित जीवन कैसे बिताना पड़ता है ? यह इस प्रकार कि उनमें से अधिकांश भूमिहीन या भूमि की नगण्य मात्रा वाले होते हैं और इन सबको दूसरों के खेतों डोलों, नाले-नालियों, राजबाहों पर से पशुओं के चारे के लिए घास, पत्ती, अंगोले (ईख का हरी डंडी और पत्तों का भाग), पुवाल तथा ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, जई, ग्वार, दलहन आदि के खेतों के कृषि अवशेष आदि को काटना, चुनना पड़ता है। क्योंकि, पहले तो इन सब में किसान के खेत का चारा खरीदने की सामर्थ्य अधिकांशतः नहीं होती, दूसरे चारा मिलता भी नहीं या बहुत महंगा मिलता है। घासफूस के लिए इन्हें सदा दबकर ही रहना पड़ता है, खेत मालिकों की दुत्कारें सहनी पड़ती है, यहां तक कि गालियां, बहुत बार खेत चोरी के लांछन तथा दुराचारों तक का शिकार होना पड़ता है। ऐसी बेबसी की हालत में उन्हें बेगार तक करनी पड़ती है। गांवों में ऐसे लोग काफी बड़ी संख्या में होते हैं। इनकी नागरिकता का भी सही विकास नहीं हो पाता। यहां तक कि चुनावों तक के समय इनको या तो दबाव में आना पड़ता है या फिर अनुचित मारपीट और ठुएबाजों के अत्याचारों को सहना पड़ता है। यहां तक हुआ है कि असहमत होने के कारण लोगों ने इनके पशुओं का चारा ही बंद नहीं किया बल्कि उनका खेतों में शौच जाना तक बन्द कर दिया है। गांवों के लगभग आधे लोग ऐसी हालत में रह रहे हैं।

[शेष पृष्ठ 32 पर]

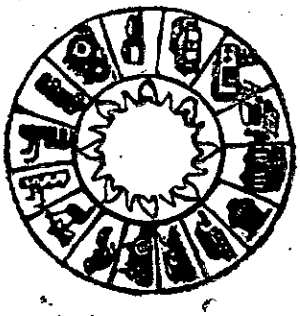

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 आषाढ़-श्रावण 1906 अंक 9

इस अंक में पृष्ठ संख्या

ग्रामीण विकास नीति : एक विहंगम दृष्टि 2
सत्य प्रकाश विश्नोई

म० प्र० में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाएं 5
केदार नाथ गुप्त

पूर्वांचल की स्वर्ण भूमि : अरुणाचल 6
डॉ० महावीर सिंह

समन्वित ग्रामीण विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका 10
गणेश कुमार पाठक

इन्हें भी स्नेह चाहिए 13
अंकुश्री

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : एक रिपोर्ट 14

करिश्मे नहीं भूखे पेट को भोजन की चाह 15
राजेश दूबे

इलाहाबाद जिले में सामाजिक वानिकी 18
प्रमोद सिंह एवं पारसनाथ पाठक

ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की समस्या : एक अध्ययन 20
प्रो० विमला उपाध्याय

क्षेत्रीय नियोजन में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका 22
डॉ० वाई० पी० सिंह

माधुरी का गर्म मसाला 25

शक्ति और दीर्घ आयु के लिए लहसुन और प्याज 26
अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार

नया आयाम (लघु कथा) 27
राजेन्द्र परदेसी

श्री निकेतन—ग्रामीण पुनर्निर्माण में टैगोर के प्रयोग 28

संकल्प (कविता) 30
मनोरमा तिवारी

केन्द्र के समाचार 31

तमिलनाडु के गांवों में नई भोर की दस्तक आवरण पृष्ठ 3

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) : के० आर० कृष्णन

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : अलका

ग्रामीण विकास नीति : एक विहंगम दृष्टि*

सत्य प्रकाश विश्नोई

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की ओर सरकार का निरन्तर ध्यान लगा हुआ है और वह देहात के गरीब लोगों की दशा सुधारने पर काफी जोर दे रही है। गांवों के लोगों की गरीबी को उत्तरोत्तर कम करने के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये गये हैं। इन विशेष कार्यक्रमों की सफलता, हाल ही में बहुत से विवादों का विषय रही है। विकास की सामान्य प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को एक समान लाभ नहीं मिलता और विशेष तौर पर निर्धनतम वर्ग को। अभी तक ऐसी कोई भी सन्तोषजनक योजना नहीं खोजी गई है जो किसी देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर सके और देहात के गरीबों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अपने देश में हमने बड़ी लगन और दृढ़ता के साथ इस दिशा में प्रयास किए हैं, यद्यपि उनमें इच्छानुसार सफलता शायद नहीं मिली है।

गरीबी को मापने के मापदण्डों की वैधता अथवा उपयुक्तता के बारे में भी अपने देश में काफी समय से मतभेद रहते हैं। यदि कोई और अधिक परिष्कृत पद्धति हो अथवा प्राप्त अनुभव के आधार पर यदि वर्तमान मानदण्डों में संशोधनों की जरूरत हो, तो उन्हें अपनाने में सभवत: कोई आपत्ति नहीं होगी। किन्तु, आवश्यकता इस बात की है कि हम निरन्तर गरीबी कम करने की दिशा में प्रयास करते रहें। यदि प्राप्त परिणामों का सही-सही मूल्यांकन किया जाए तो मूलभूत ढांचे की कमजोरी, वितरण प्रणाली की कमियों और लक्षित वर्ग की उत्साह-हीनता के बावजूद भी ये काफी सन्तोषजनक पाए जाएंगे। ग्रामों की गरीबी को दूर करने के कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किसी भी रूप में अल्पावधि में नहीं किया जा सकता है। इनका व्यवितपरक विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। इनके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं।

नीतियों और उनकी सफलताओं का किसी प्रकार का भी मूल्यांकन करते हुए भारत की मूल परिस्थितियों जैसे उप-महाद्वीप की विशालता, उसकी विभिन्न कृषि जलवायु सम्बन्धी स्थितियों, ऐतिहासिक यथार्थताओं, व्याप्त सामाजार्थिक और राजनीतिक दशाओं, जनसंख्या वृद्धि आदि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, हरेक गांव में अलग-अलग समुदाय होता है। हरेक समुदाय की अपनी अनोखी जरूरतें और आवश्यकताएं, और क्षमतायें होती हैं। इसीलिए, भारत में ग्रामीण विकास के बारे में कोई केवल एक ही नीति अपनाना सम्भवत: उचित नहीं होगा। पूर्ववर्ती विकास कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य गरीबों के सर्वांगीण सुधार के लिए अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का था, की तुलना में वर्तमान प्रयासों का लक्ष्य और अधिक प्रत्यक्ष रूप में गरीबों तक पहुंचना है। इन प्रयासों में मूल रूप से "बहु-विषयक" और "बहु-क्षेत्रीय" दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जिनका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को रोजगार और आय सृजन के कार्यक्रमों के साथ मिलाना है। "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम", "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम", "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम", "सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम" आदि आम लोगों के लिए योजनाएं हैं, जो भारत जैसे विविधता वाले देश की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं।

समस्या बड़ी है। योजना-प्रक्रिया में कुछ जानी पहचानी बाधाएं हैं। सबसे प्रमुख बाधा है, अपेक्षाकृत कम धनराशि का आवंटन। वस्तुत: ग्रामीण विकास के लिए धनराशि आवंटन और भौतिक लक्ष्य देश में व्याप्त गरीबी के अनुसार होने चाहिए। हर ग्रामीण निर्धन परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए बहुत अधिक पूंजी की जरूरत है। हमारे देश में सभी लाभार्थी प्राय: यह उम्मीद करते हैं कि सरकार-तंत्र ही उनका हर काम करे। ऐसे सरकारी प्रयासों की सीमाएं होती हैं। अन्य प्रतिस्पर्धी मांगों और अन्य अत्यावश्यक प्राथमिकताओं को देखते हुए यह संभव नहीं है कि केवल ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए आय और रोजगार पैदा करने वाले कार्यों में ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकांश भाग लगाया जाए। फिर भी यथा संभव इस ओर ध्यान दिया जा रहा है और उपलब्ध धनराशि एवं संसाधनों का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है।

*यह आवश्यक नहीं है कि इस लेख में निहित विचार ग्रामीण विकास मंत्रालय के दृष्टिकोण को प्रकट करते हों।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं (जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों और उनकी लघु परियोजनाओं अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स का गलत चयन अथवा योजनाओं की संस्वीकृति और कार्यान्वयन में अथवा ऋण और आर्थिक सहायता देने में विलम्ब अथवा बिचौलियों द्वारा निधियों का बीच में हड़पना) फिर भी, बहुत सी मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों में लक्षित वर्गों को काफी हद तक अभीष्ट लाभ प्राप्त हुए हैं। कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में कुछ नई बातें सामने आई हैं। तुलनात्मक रूप से समृद्ध राज्य सरकारों, जिनके पास ज्यादा संन्तोषजनक मूलभूत ढांचे की सुविधाएं अथवा कारगर वितरण प्रणाली है, ने आबंटित एवं उपलब्ध निधियों का अधिक्र उत्पादी तरीके से अच्छा उपयोग किया है। अभाग्यवश, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बहुत से राज्यों का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ा है और वहां ज्यादा गरीबी भी है। साधारणतया उनका मूलभूत ढांचा (प्रशासनिक और बैंकिंग व्यवस्था आदि) भी कमजोर है। वर्तमान पद्धति के अनुसार उन्हें अपने कोष से भी धनराशि लगानी पड़ती है। इसका प्रावधान करना उनके लिए कठिन होता है। अक्सर व आबंटित निधियों का पूरा प्रयोग भी नहीं कर पाते और बहुत सी अड़चनों के कारण कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बहुत से राज्यों में यह एक दुष्चक्र हो जाता है।

गरीबों में भी तुलनात्मक अधिक आय के लोगों ने स्वतः इन कार्यक्रमों से अधिक लाभ उठाया है। उन्होंने अपनी जरूरतों के बारे में ज्यादा जागरूकता दिखलाई और अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की तथा अपनी उद्यमी कुशलताओं से उपलब्ध योजनाओं का अधिक अच्छी तरह उपयोग किया। ज्यादा गरीब लोगों के लिए उनकी जरूरतों के अनुरूप उप-योजनाएं कुछेक होती हैं और समग्र रूप से उनकी "निम्न" आर्थिक स्थिति को देखते हुए, ज्यादा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में उन्होंने भाग नहीं लिया है। एक और कारण है—लाभ उठाने की समग्र क्षमता। अक्सर परियोजना और बैंक अधिकारी अत्यधिक गरीब लोगों के लिए आय अर्जन करने वाली कुछ उपयोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रायः सन्तुष्ट रहे हैं। शायद उन्होंने परिसम्पत्तियों के सृजन की उप-योजनाओं के लिए ग्रामीण निर्धनों में अधिक सक्षम लोगों पर ध्यान दिया है। निस्सन्देह यह दुख का विषय है। सहकारी संस्थाओं और एक मत गुटों (ग्रुपों) के आधार पर इन कार्यक्रमों में जिन लोगों ने भाग लिया है, वे ही अधिक लाभ उठा सके हैं। किन्तु इस दिशा में प्रगति सीमित है। अभी पूरी तरह से आत्म निर्भरता विकसित नहीं हुई है।

आदर्श प्रदाय प्रणाली

यदि अपनाई हुई राष्ट्रीय नीतियों को वर्तमान ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के परिवेश में देखें और कार्यान्वयन की प्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो नीतियां अपनाई गई हैं, वे बुनियादी तौर पर सही सिद्ध हुई हैं और यह संभव है कि कार्यान्वयन के प्रयासों में भी कुछ दोष अथवा कमी रह गई हो। इसका द्योतक यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछले वर्षों में नीतियों की आलोचना नहीं हुई है और मुख्यतः "वितरण प्रणाली" (डिलीवरी सिस्टम) अथवा कार्यान्वयन के प्रयासों में कुछ कमियों के रह जाने के बारे में ही अधिकांश आलोचना हुई है। बहरहाल, नीतियों को बारम्बार और अचानक बदलने में कोई तुक नहीं है। 1970 के दशक के अन्तिम चरण और 1980 के दशक के प्रारम्भ में जोर देते हुए अपनाई गई मौजूदा नीतियां अधिकांश राज्यों में घर कर चुकी हैं और उनमें मूल-भूत रद्दोबदल करना शायद ठीक नहीं होगा। नीतियों के संबंध में जो भी नए विचार मिल पाए हैं, उनकी जांच जरूरी है। क्योंकि, ऐसे किन्हीं भी विचारों या दृष्टिकोणों को समूचे सन्दर्भ में आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए, तभी उन्हें किसी इलाके में आजमाया जा सकता है। किन्तु, यह सब आधार यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं कि ऐसे कार्यक्रम अन्य स्थानों पर भी सफल होंगे या उन्हें मौजूदा कार्यक्रमों को छोड़कर, देश भर में अपना लिया जाए। वैसे नई नीतियों को अपनाने और कार्यविधियों, वितरण प्रणाली अथवा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में सुधार लाने की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। हमें वर्तमान योजना अवधि के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए और वर्तमान नीतियों में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन, मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और अन्य स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, कर सकते हैं।

संभावना यह है कि मौजूदा कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो 1980 में 51 प्रतिशत था, छठी योजना के अन्त तक, अन्य आर्थिक नीतियों के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 35 प्रतिशत तक हो जाए।* इस शताब्दी के समाप्त होने से पहले ही यदि गरीबी मिटाना हो तो जनसंख्या में संभावित वृद्धि और अर्थव्यवस्था में विकास को ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम 60,000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का सृजन करके आय सृजित करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश की आवश्यकता होगी। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि क्या वर्ष 1986–2000 के दौरान इतनी निधियां सुलभ हो सकेंगी। इसी के साथ इस परिमाण के निवेश को उपयोग में लाने के लिए प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचों की क्षमता और लक्षित वर्गों और क्षेत्रों में इस प्रणाली को आत्मसात करने की समर्थता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। देश के विभिन्न भागों में निर्धनता के प्रभाव और इसकी तीव्रता के आधार पर चयन करते हुए ऐसे किसी भी निवेश को उपयोग में लाना चाहिए। विचारणीय है कि अधिक उपेक्षित क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों को अधिक दर पर आबंटन किए जाने के लिए मापदण्ड बनाए जा सकते हैं और क्या इन आबंटनों का पूरा उपयोग करने की विभिन्न इलाकों की क्षमता को सुदृढ़ किया जा सकता है?

यदि मौजूदा नीतियों को जारी रखा जाना है तो अधिक प्रभावी विगत और भावी संयोजनों पर बल दिया जाना चाहिए।

*इन प्रतिशतों एवं उनके आधारों पर काफी विवाद है।

इसमें पहला अनिवार्य तरीका यह होगा कि गरीबी और पिछड़ापन दूर करने की विभिन्न योजनाओं को यथा-सम्भव समन्वित किया जाए और ऐसे संयोजनों के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीले दृष्टिकोण को अपनाया जाए। इसके लाभ प्रत्यक्ष हैं। यदि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जिन संभावित लाभभोगियों की कुशलताओं में सुधार न हो सके अथवा जिनको परिसम्पत्ति न मिल पाए, उन सभी के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के निर्माण-कार्यों के अन्तर्गत रोजगार सुनिश्चित किया जा सकता है।

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास" और "ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण" योजनाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। पहली योजना मुख्यतः सामूहिक गतिविधियों और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने पर आधारित होगी। अभी तक भारतीय परिवेश में सामूहिक गतिविधियों की पद्धति की पूरी तौर पर जानकारी नहीं है और न इसका विश्लेषण ही किया गया है। इस प्रकार, स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करना अत्यन्त वांछनीय उपाय होगा, हालांकि उपयुक्त स्वैच्छिक एजेंसियों का पता लगाने और उनका चयन करने का कार्य काफी कठिन हो सकता है। लक्षित वर्गों को प्रेरित करना, उनकी आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं और उनके लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी सुलभ करने तथा उन्हें यथा-समय स्वावलम्बी बनने में सहायता करने का काम स्वैच्छिक एजेंसियां कर सकती हैं। ऐसी एजेंसियों में सभी स्तरों पर समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण उद्योगों का जीर्णोद्धार

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) के पूरे लाभ इस योजना को आय-सृजित करने वाले अन्य कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे निवेश-आपूर्ति और उत्पाद विपणन एजेंसियों से सम्बद्ध करना भी आवश्यक होगा। जहां कहीं भी इसका अभाव रहा है, वहां "ट्राइसेम" के प्रयासों के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

कृषि और पशुपालन पर आधारित उद्योगों ने ग्रामों के पुनरुद्धार में पूर्ण योगदान नहीं दिया है। यद्यपि यह वह क्षेत्र है, जिससे ग्रामीण निर्धनता दूर करने में काफी मदद मिल सकती है और आत्म-निर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सृजन किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये उद्योग शहरी इलाकों की ओर अधिक उन्मुख हुए हैं और इनसे उत्पादित सामान ग्रामीण कारीगरों के उत्पाद पर हावी हो रहे हैं। शायद शहरी (अथवा अर्द्ध-शहरी) क्षेत्रों में ऐसी नई इकाइयों के लगने पर प्रति-बन्ध लगाने की आवश्यकता हो सकती है। कृषि उत्पाद पर आधारित बड़ी "प्रोसेसिंग यूनिटों" को हर हालत में अपनी अनुसंधान और विकास निधियों का एक अंश निर्धन ग्रामीणों को अपने ही वातावरण में उपलब्ध अपने उप-उत्पादों को अथवा क्षेत्र में उपलब्ध अन्य प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने में मदद करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां ढूंढने में लगाना चाहिए।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लक्षित वर्गों द्वारा भाग न लेने और उनमें उत्साह न दिखाने के कारण इन कार्यक्रमों में अपेक्षानुसार प्रगति नहीं हुई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को संगठित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। खण्ड एवं जिला स्तर के ऐसे संगठनों को शुरू में अच्छे नेतृत्व अथवा प्रेरणा का अभाव हो सकता है, किन्तु धीरे-धीरे यदि इन्हें उचित दिशा-निर्देश और प्रोत्साहन (और उचित महत्व) दिया जाए तो ये सब बहुत उपयोगी प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। सरकारी संगठन के कार्यों पर निगरानी रखने के अलावा, ये लाभार्थियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करने तथा उनकी कठिनाइयों को उजागर करने एवं उनका हल ढूंढने का प्रमुख साधन बन सकते हैं। उन्हें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की शासी परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और कार्यक्रम के निर्माण एवं कार्यान्वयन से सम्बद्ध अन्य अभिकरणों से सहयोजित किया जा सकता है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण लाभार्थियों के कल्याण के मानिटरिंग-कार्य की प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों का संघ मानिटरिंग का कार्य करने के लिए अपने बीच से चुनिंदा व्यक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। यही कार्य कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकता है और कम लागत पर भी। इन संस्थाओं का उपयोग भावी लाभार्थियों का पता लगाने, निधियों का वितरण करने और परिसम्पत्तियों का सत्यापन करने के लिए भी किया जा सकता है।

कार्यक्रमों के आरम्भ में यह आवश्यक है कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रयासों में विशिष्ट आर्थिक सहायता दी जाए। परन्तु असाधारण रूप से बड़ी मात्रा में अनुदान देने या उसको लम्बे समय तक जारी रखने से लाभार्थी का अनावश्यक रूप से बाहरी सहायता पर आश्रित बन जाने का डर होता है। उनमें पहल-शक्ति की भावना भी लोप हो सकती है। इन लोगों को उनकी आवश्यकताओं, क्षमताओं और शक्ति के प्रति जागृत कराना और उन्हें आय सृजित करने वाली गतिविधियों को आरंभ करना जरूरी है। अन्य देशों के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुभव से यह प्रकट होता है कि जहां लाभार्थियों ने इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया, वहां बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए।

शिक्षा व प्रशिक्षण का महत्व

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त शैक्षिक और तकनीकी योग्यताओं वाले व्यक्तियों की अक्सर कमी रहती है। प्रायः ग्रामीण (या साधनहीन) क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए जिन नए सरकारी पदों का सृजन किया जाता है, उन्हें भरा नहीं जाता है। स्नातक होने से पूर्व प्रत्येक युवक के लिए 12 मास की अनिवार्य ग्रामीण सेवा का प्रावधान किया जा सकता है। (इसके लिए समुचित निर्वाह-भत्ता दिया जा सकता है)। इससे शहरी युवकों को देहात और उसकी समस्याओं का पर्याप्त परिचय मिल जाएगा। ऐसे शिक्षित ग्रामीण कार्य-दलों से विभिन्न कार्यक्रमों में लगी कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता मिलेगी। वे ग्रामीण गरीबों के दल गठित करने और आर्थिक गतिविधियों के लिए सामूहिक कार्रवाई को अपनाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। आम तौर पर वे लोगों को गतिविधियों तथा विकास कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं।

संक्षेप में, देश में गांवों की गरीबी को क्रमिक रूप से कम करना योजना-प्रयासों के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इस विशाल

[शेष पृष्ठ 5 पर]

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाएं

केदार नाथ गुप्त

वित्तीय वर्ष 1983–84 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा 84.11 करोड़ रुपये लागत की 208 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 61 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, 40 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 80 विशेष योजना (कृषि) व विशेष योजना (उद्योग), 6 सहकारी समितियां, 19 हरिजन बस्तियां एवं 1 विशेष ऋण योजनाएं हैं।

इस प्रकार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अभी तक 397.21 करोड़ रुपय लागत की 1,076 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 43,833 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 3,79,283 पंपों के ऊर्जित किए जाने का प्रावधान है। 1,076 योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (सामान्य)	398
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	222
विशेष योजना (कृषि)	363
विशेष योजना (डी)	21
विशेष योजना (उद्योग)	4
सहकारी समितियां	13
हरिजन बस्तियां	52
एस० आई०	1
लाइनमैन प्रशिक्षण	2
कुल	1,076

आदिवासी उपयोजना

आदिवासी उपयोजना के तहत मार्च 83 तक आदिवासी बहुल 9,355 ग्रामों को बिजली दी गई तथा इन गांवों में 46,877 सिंचाई पम्पों के लिए लाइनें बिछाई गईं। राज्य के आदिवासी क्षेत्र में वर्ष 1983–84 में 425 ग्रामों को बिजली तथा 3000 सिंचाई पम्पों के लिए लाइनें बिछाने का लक्ष्य पूरा किया गया। इस कार्य के लिए पन्द्रह करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में नवम्बर 83 तक 702 ग्रामों को बिजली दी गई तथा 2,515 पम्पों के लिए लाइनें बिछाई गईं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को रियायती दर पर एक बत्ती कनेक्शन की सुविधा म० प्र० विद्युत मण्डल द्वारा दी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 1983–84 में 8,000 एक बत्ती कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 84 तक एक बत्ती कनेक्शनों की संख्या बढ़कर एक लाख तैंतीस हजार एक सौ हो गई थी।

हरिजन विशेषांश योजना के तहत 1,512 हरिजन ग्रामों में 9,737 हरिजन विशेषांश योजना के तहत प्रदेश के 2,354 हरिजन बहुल गांवों में से फरवरी 84 तक 1,512 गांवों को बिजली पहुंचाई गई तथा 9,737 सड़क बत्तियां दी गईं। 15,265 पम्पों के लिए लाइनें डाली गईं। चालू वित्तीय वर्ष में 8.25 करोड़ रुपयों की लागत से 224 हरिजन बहुल ग्रामों और 1,484 बस्तियों के विद्युतीकरण तथा 3,350 पम्पों के लिए लाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित है। फरवरी 84 तक 57 हरिजन बहुल ग्रामों और 552 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 616 पम्पों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

हरिजन विशेषांश योजना के तहत चालू वर्ष में 6,000 एक बत्ती कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि लक्ष्य की तुलना में इस वर्ष नवम्बर तक 6,036 एक बत्ती कनेक्शन दिए जा चुके हैं। □

1505 नेपियर टाऊन, जबलपुर

ग्रामीण विकास नीति : एक विहंगम दृष्टि

[पृष्ठ 4 का शेषांश]

देश के आकार और इसमें विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान केवल बहु-विषयक तथा बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपना कर किया जा सकता है। वर्तमान नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुभव से पता चलता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जिन बातों पर बल दिया गया है, वे बुनियादी रूप से सही हैं, यद्यपि संशोधनों और सुधारों की हमेशा गुंजाइश रहती है। आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने, वितरण प्रणाली को सुधारने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है। लक्षित वर्ग को समग्र रूप से शामिल करने के कार्य को बढ़ाना है। उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि वे कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें तथा अधिकाधिक आत्म-निर्भर बन सकें। □

पूर्वांचल की स्वर्णभूमि: अरुणाचल

डॉ० महावीर सिंह

भारत का यह प्रदेश हिम मंडित चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य की सुनहरी किरणें जब प्रातःकाल बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं तो पूरा प्रदेश अरुणिम आभा से चमक उठता है। यहां का वातावरण किसी रहस्यलोक जैसा लगता है। ब्रह्मपुत्र से उत्तरी दिशा में बढ़ने पर प्रकृति की इस अपार रूपराशि के दर्शन होते हैं। प्रकृति का कोमल, पारदर्शी रूप लावण्य पर्यटकों को नए अनुभव और अनुभूतियां देता है। घने वनों को पार करना कठिन अवश्य है लेकिन प्रकृति का वैभव इतना विशाल है कि यातायात की कठिनाई भी एक आनन्द में बदल जाती है। ऊंचाई की ओर जाते-जाते आबादी कम होती जाती है। पहाड़ियों पर चढ़ने का भी अलग सुख है जो जोखिम भरा अवश्य है लेकिन बिना जोखिम के असीम सौंदर्य के दर्शन भी नहीं हो सकते। असुविधाओं से भरे जीवन के बाद भी यहां के निवासी हिमालय की रमणीक गोद को छोड़ना नहीं चाहते। हिमालय की चोटियां आकाश को सिर पर उठाए हुए सी लगती हैं। किसी वृद्ध सन्यासी की सफेद जटाओं के समान हिमालय ध्यान मग्न सा लगता है। सेना के जवानों की हलचल इस क्षेत्र में मिल जाती है जो प्रतिकूल मौसम में भी पहाड़ियों पर सुरक्षा के लिए डटे हैं। सेना के यातायात के लिए सड़कें और ट्रैक बना लिए गए हैं। इस प्रदेश में आदिवासी लोग नृत्य और संगीत के साथ-साथ अनेक कलाओं में पारंगत हैं। वस्त्रों की डिजाइनें, अत्यन्त आकर्षक हैं। टोकरी बनाना, अस्त्र-शस्त्र बनाना, लकड़ी के खिलौने, मुखौटे, चटाई आदि बनाने में ये लोग सिद्धहस्त हैं। दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं घरों पर बनाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर घास के वस्त्र पहने जाते हैं। श्री वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक "दी आर्ट आफ नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर आफ इंडिया" में अरुणाचल की कला के संबंध में मूल्यवान सामग्री एकत्र की है। यह प्रदेश, चीन, बर्मा, भूटान से घिरा है। असम और नगालैंड राज्यों की सीमाएं अरुणाचल से लगती हैं। अतः इस राज्य की संस्कृति पर अनेक देशों के प्रभाव हैं। बौमडीला में तिब्बती शरणार्थियों की अधिकता है तो तिरप में नागा लोगों का प्रभाव है। तवांग काफी ऊंचाई पर है जहां बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है। तिब्बती बौद्धों के छठे लामा का जन्म तवांग में हुआ था। अन्य राज्यों से आए लोगों ने यहां अपने उद्योग तथा व्यवसाय स्थापित कर लिए हैं।

पूरा प्रदेश पांच भागों में बंटा है— कामेंग, सुबांसिरी, सियांग, लोहित और तिरप। ब्रह्मपुत्र नदी सियांग अनुभाग से गुजरती है। मुख्य नगर हैं—बौमडीला तवांग, जारो, ईटानगर, तेजू, सदिया। चीनी आक्रमण के समय चीनी सेना बौमडीला तक आ गई थी लेकिन यहां के निवासी भयभीत नहीं हुए थे और अपने घर-गांव में डटे रहे थे। इस प्रदेश के कुछ भाग पर अंग्रेजों का शासन रहा था। कामेंग के "एका" जाति के लोगों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। 1829 ई० में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। तथा 1851 ई० में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 22 जनवरी 1972 को इसे केन्द्र शासित राज्य घोषित किया गया। चीनी आक्रमण के बाद इस क्षेत्र के विकास का कार्य तेजी से किया गया तथा बाहरी जगत से इसका सम्पर्क स्थापित हुआ। डा० वेरियर एल्विन ने कई ग्रंथ इस प्रदेश के संबंध में लिखे हैं, "ए फिलासफी फार नेफा" "मिथ्स आफ दी नार्थ ईस्ट फ्रंटीयर"। अन्य लेखकों ने भी इस प्रदेश की संस्कृति पर प्रकाश डाला है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल 31 हजार कि० मी० है। पूरा प्रदेश पहाड़ियों और घाटियों से घिरा है। ब्रह्मपुत्र के अलावा पांच अन्य नदियां हैं जिनके नाम पर अनुभागों के नाम रखे गए हैं। चीन से सीमा लगी होने के कारण यहां अफीम खाने का बेहद शौक है। जादू टोना, नरमुंड का शिकार, नरमांस का आहार, डकैती, आदि का भी प्रचलन था जो अब कम हो गया है। धनुषबाण प्रमुख हथियार हैं। आदिवासी अत्यन्त साहसी तथा युद्ध प्रिय हैं। अधिकांश जातियां मंगोलिया समूह की हैं। प्रदेश की राजधानी ईटानगर धीरे-धीरे नगर का रूप ले रही है। प्रदेश में तीन आकाशवाणी केन्द्र तेजू, पासीघाट और तवांग में स्थित हैं। चौथा केन्द्र ईटानगर में स्थापित हो रहा है। ईटानगर में टीवी का रिले केन्द्र भी है। पूरा प्रदेश जनजातियों से आबाद है। मुख्य जन जातियां हैं— मोनपा, आका, खोआ, वांगी, पहाड़ी मिरी आदी कामेंग क्षेत्र-निवास करते हैं, बोडो समूह में शेरडुकफेन आते हैं, सियांग में मेम्बा और खाम्बा प्रमुख हैं इसी जिले में गलौंग और आदी भी हैं। तिरप में वांचू, नोकटे, तंगसा, खामटी, सिंगफो आदि हैं। लोहित डिवीजन में ईदू, दिगारू और मिसी लोग हैं। तवांग में आपतानी प्रसिद्ध हैं। कामेंग के डाफला सरदार बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये लोग बड़े लड़ाकू और साहसी होते हैं। अबोर जाति के लोग तो डाकुओं के लिए प्रसिद्ध हो गए थे।

इतिहास

इस राज्य का संबंध महाभारत से है। दुरूह क्षेत्र होने के कारण लोग इस के विषय में कम जानते हैं। कुछ समय पूर्व तक यह क्षेत्र असम का ही एक भाग था। ओहम राजाओं की अधीनता स्वीकार करना इन आदिवासियों के लिए अपमान जनक था। अतः डाफला लोगों ने संघर्ष जारी रखा। ये लोग मैदानों में डकैती डालते थे तथा दुर्गम भागों में छुप जाते थे। ओहम राजा हमेशा इनसे परेशान रहे। मुगल इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का कुछ उल्लेख किया है। मीर जुमला ने जब 1662 में असम पर चढ़ाई की थी उस समय उसने डाफलाओं का वर्णन किया था। लेकिन यह मात्र उल्लेख ही था। ओहम राजाओं ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए भी अनेक प्रयास किए। लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता ली। अंग्रेजों ने सेना नहीं भेजी वरन् कुछ ईसाई धर्म प्रचारक भेजे जिन्होंने कुछ लोगों को शिक्षित बनाकर ईसाई बना लिया। अंग्रेजों की यह नीति थी कि वे स्थाई राज्य स्थापित करने के लिए पहले वे धर्म परिवर्तन द्वारा लोगों को अपने पक्ष में करते थे। इस प्रकार वे सेना को बचाए रखते थे। यही कारण है कि अरुणाचल में ईसाई लोगों की संख्या पचास प्रशिशत से भी अधिक है। 1826 में यान्दाबू की संधि के बाद असम पर ओहम राजाओं का अधिकार समाप्त हो गया था तथा 1838 में इस प्रदेश पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया था।

इतिहास के अलावा महाभारत और पुराणों में इस राज्य के इतिहास के विषय में कुछ जानकारी मिल जाती है। अनेक ऋषियों की कथाएं भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी कथा है कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण। रुक्मिणी मिस्मी जाति की कन्या थी। वह भीष्मक नगर के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी कृष्ण से प्रेम करती थी लेकिन उसका पिता भीष्मक शिशुपाल से उसका विवाह करना चाहता था। लेकिन रुक्मिणी कृष्ण के साथ चली गई। रुक्मिणी के भाई रूक्म ने विरोध किया लेकिन वह पराजित हुआ। रुक्मिणी के आग्रह पर कृष्ण ने उसका वध नहीं किया। फिर भी रुक्म के बालों का एक गुच्छा कृष्ण ने काट लिया जिसके कारण आज भी मिस्मी लोग आगे के केशों का कुछ भाग काटते रहते हैं। इन्हें चुलिकटा मिस्मी कहा जाता है। पार्वती ने दोनों का स्वागत फूलमालाओं से जिस स्थान पर किया उसको मालिनीथान कहा जाता है। भीष्मक नगर के कुछ अवशेष आज भी हैं। मालिनीथान की खुदाई में भी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। लेकिन इस कथा की सचाई संदिग्ध है। इतना स्पष्ट है कि इस प्रदेश का संबंध भारतवर्ष के साथ हजारों वर्ष पुराना है। लोहित जिले में परशराम कुंड प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी माता की हत्या के बाद यहां पाप धोए थे। अतः नाम परशुराम कुंड पड़ा। कालिका पुराण में यह कथा है। तेजू में ताम्रेश्वरी का मंदिर भी प्राचीन है। लोहित जिले में शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। ओहम राजाओं से पहले सूतिया राजाओं ने इस क्षेत्र पर कुछ दिन शासन किया था। सूतिया लोग बोडो जाति के थे। इनका राज्य लोहित से सियांग तक था। हिन्दू लोगों के प्रभाव के कारण इन्होंने कुछ मन्दिर बनवाए थे। लोहित जिले में बिहारी, मारवाड़ी आदि लोगों ने अपने व्यवसाय स्थापित किए हैं तथा राज्य की प्रगति में भाग ले रहे हैं।

जनजीवन

अरुणाचल की हर पहाड़ी भारत की मुकुटमणि है। यहां का जीवन सुविधाओं की दृष्टि से भले ही अनुकूल न हो लेकिन प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रेल और सड़क दोनों का ही अभाव है। ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ रेलवे लाइन है जो अरुणाचल को भी जोड़ती है। अरुणाचल एक्सप्रेस इसकी सीमाओं को छूती भर है। अधिकांश भाग में आबादी अत्यन्त विरल है। तिब्बती लामाओं ने कठिन स्थानों पर भी अपने मठ बनाए हैं। तवांग 10 हजार फीट की ऊंचाई पर है। मोनपा जाति के लोग भी बौद्धों के प्रभाव के कारण अत्यन्त कर्मठ हो गए हैं। शेरडुकपेन भी तिब्बती मूल के होने के कारण बौद्ध धर्म के अनयायी हैं। खोवा और आका जाति की संख्या भी काफी है जंगली पशुओं का शिकार ही भोजन का मुख्य साधन है। शिकार के कारण हिंसा इनके जीवन का भाग है। आपसी संघर्ष भी इनके जीवन का एक भाग है। स्त्री-पुरुषों में मेल-मिलाप की स्वतन्त्रता है तथा कोई बन्धन समाज की ओर से नहीं है। इतना उन्मुक्त जीवन शायद ही किसी जनजाति में मिले। केवल मां और बहन को छोड़कर किसी भी रिश्ते से शादी की जा सकती है। स्त्रियां वस्त्र बनाने में दक्ष हैं तथा घर के लिए स्वयं वस्त्र बुनती हैं। स्त्री-पुरुष एक चादर ओढ़कर अपना शरीर ढकते हैं। स्त्रियां घटने तक के स्कर्ट पहनती हैं। जन जातियों की संख्या अधिक है लेकिन एक-एक जनजाति की जनसंख्या अधिक नहीं है। गरीबी के बीच भी ये लोग नृत्य और संगीत में डूबे रहते हैं कामेंग की ओर मुखौटा नृत्य अत्यन्त लोकप्रिय है। यह नृत्य सिक्किम, भूटान और नेपाल की देन है। इतने आकर्षक मुखौटे बनाए जाते हैं कि नृत्य मनोरंजक हो जाता है। लोहे के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। आपतानी लोक अपेक्षाकृत अधिक सभ्य है। कृषि के आधुनिक तरीकों में भी आपतानी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। बांस और बेंत की अनेक वस्तुएं कलात्मक ढंग से बनाई जाती हैं। आदी या आदी जनजाति हिंसक होने के कारण कुछ समय पूर्व तक अबोर कही जाती थी। नरमुंडों का शिकार इनमें प्रचलित था। आदी जन जाति की अनेक उपजातियां हैं।

घरेलू उद्योग लगभग हर जन जाति में प्रचलित हैं। वस्त्रों की बुनाई हर घर में की जाती है। गांव का संगठन मजबूत होता है। लड़के और लड़कियों के लिए युवा होस्टल हैं। अविवाहित लड़के-लड़कियां आपस में स्वतन्त्र रूप से मिल सकते हैं। बहुपत्नी प्रथा तथा बहुपति प्रथा भी यहां कहीं-कहीं प्रचलित है। बहुपति प्रथा शायद तिब्बत की ओर से यहां आई है। एक ही लड़की से सभी भाई विवाह कर सकते हैं। गीत और नृत्य के आयोजन हर समय होते रहते हैं तथा लोग सांस्कृतिक रुचिसम्पन्न हैं। मिस्मी बालिकाएं सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। शरीर का गठन मजबूत होता है हां ऊंचाई अवश्य कम होती है। प्रायः लोग तम्बाकू और अफीम के शौकीन हैं। पुरुषों में नशे की आदत आम है। स्त्रियां

ही घर का काम संभालती हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों के कारण आधुनिक सभ्यता यहां तेजी से पहुंच रही है। खामती और सिंगफो जन जातियों में बौद्ध धर्म का प्रचलन है। तिरप जिले का मुख्यालय खोनसा है जहां तांगसा लोग रहते हैं। ये नागाओं जैसे वीर और साहसी हैं। वांचू और नोकटे भी इस जिले में हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग मोरांगों की व्यवस्था की जाती है। कोन्यक लोग आज भी नरमुंड का शिकार कर लेते हैं। प्रायः पुरुष अपनी पोशाक की साजसज्जा पर अधिक ध्यान देते हैं और पक्षियों के पर, कौड़ियां, मूंगे, सींग, रंगीन वस्त्रों से अपनी पोशाक तैयार करते हैं। भाले, दाव, धनुष को भी सजाया जाता है तथा हर समय योद्धा वेश में ही उन्हें आप पाएंगे। गांव की रक्षा का भार युवकों पर होता है जो रात भर गांव का पहरा देते हैं। शराब, नृत्य और मांसाहार जीवन का मुख्य भाग है। नोकटे लोगों का लोकगीत लोकु अत्यन्त लोक प्रिय है यह क्वार-कार्तिक में होता है। इस अवसर पर सूअर और भैंसे की बलि दी जाती है और तीन दिनों तक शराब और मांसाहार का क्रम चलता है। देवताओं की पूजा होती है तथा सामूहिक भोज दिया जाता है। प्रायः युवक और युवतियां ही नृत्य में भाग लेते हैं। उमंग और उत्साह में पूरा प्रदेश चमक उठता है। लड़कियां गले में इतनी अधिक मालाएं पहनती हैं कि वक्ष पर एक ढेर सा हो जाता है। काठ के मनके, रुपयों की मालाएं, और जंगल की जड़ी बूटियों की मालाएं बनाई जाती हैं। नाक, कान और हाथों में आभूषण धारण किए जाते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों में लोग ऊन के भारी वस्त्रों से लदे रहते हैं। पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। गोदने-गुदवाने की प्रथा आम है। चेहरे, हाथ पैर पर बड़े-बड़े गोदने गोदे जाते हैं पुरुष नरमुंडों का निशान अपने वक्ष पर धारण करते हैं। नृत्य के समय अस्त्र-शस्त्र हाथ में लेकर नृत्य करते हैं। लड़कियां भी सिर पर टोपी में रंग-बिरंगे पर लगाती हैं। कोनयक लोग आज भी घास के वस्त्र पहनते हैं।

जादू और अंधविश्वास आज भी प्रचलित है। मृत्यु के समय पांच दिनों तक कपड़ा नहीं बुन सकते। यदि दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो एक वर्ष तक नहीं बुन सकते। देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए सूअर और मुर्गे की बलि दी जाती है। मुर्दों को दफनाने की प्रथा है लेकिन उनके पुतले बनाकर वहीं गाढ़ दिए जाते हैं। मुर्दे के साथ में दैनिक उपयोग की वस्तुएं रख दी जाती हैं। पुतलों को भी कलात्मक ढंग से बनाया जाता है। शकुन विचार, रूढ़ियां और परम्पराएं इतनी अधिक हैं कि हर समय बंधकर काम करना होता है। नए वस्त्र पहनते समय उसे ब्रुश से छह बार साफ करना होता है। या कुत्ते को ढकने के बाद उस वस्त्र को पहना जाता है। हिन्दू धर्म का भी प्रचार है लेकिन स्थानीय देवताओं की ही पूजा होती है। मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं है। हर घटना या बीमारी के लिए किसी न किसी स्थानीय देवता को उत्तरदायी माना जाता है। इन्हें बलि द्वारा संतुष्ट किया जाता है। हर बलि के लिए अलग नियम हैं जिन्हें भंग नहीं किया जा सकता।

आर्थिक विकास की गति अब यहां भी तेज हो गई है तथा नए मानदंड अपनाए जा रहे हैं। लेकिन गरीबी अभी इतनी अधिक है कि शीघ्र कुछ न कुछ उपाय होने चाहिए। यहां के लोगों को यदि सेना में भर्ती किया जाए तो इस क्षेत्र की रक्षा में इनका बड़ा सहयोग मिल सकता है लेकिन सेना में भर्ती करने के लिए उन्हें उत्साहित करना आसान काम नहीं है। शिक्षा के प्रसार के साथ नई सभ्यता से इनका परिचय हो रहा है जो एक शुभ लक्षण है। □

एल०आई० जी० 60,
सरस्वती नगर,
भोपाल–462003

कठुआ का ढाबा

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बनी खण्ड में पहुंचना आसान नहीं है। निकटतम मोटर सड़क 15 किलोमीटर दूर भुंड में है। अगर कोई जाना ही चाहे तो 15 किलोमीटर की विकट चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। सर्दियों में, भारी वर्फ इस यात्रा को और ज्यादा कठिन बना देती है। परन्तु कोई बाहरी व्यक्ति बनी आए तो वह उत्तम चन्द के ढाबे में स्वादिष्ट चपातियां, चावल और कढ़ी पेट भर खा सकता है।

कोई भी व्यक्ति उत्तम चन्द की समृद्धि से आश्चर्यचकित रह जाएगा क्योंकि वह विकलांग है। एक लम्बे समय तक वह अपने परिवार के लिए एक भार रहा। परन्तु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से उसके दिन बदले।

खण्ड विकास एजेंसी की सिफारिश पर उसे जम्मू-कश्मीर बैंक से पांच हजार रुपये का ऋण मिला और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसे सहायता भी मिली। इस राशि का उपयोग उसने अपने इलाके में एक छोटा सा ढाबा शुरू कर के किया। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसने अपना ढाबा लोकप्रिय बना लिया। उसके भोजन में मिलावट नहीं होती। उसे सफलता मिलने लगी।

उत्तम चन्द अब अपने परिवार पर बोझ नहीं रहा। अब वह पांच सदस्यों के अपने परिवार का मुख्य सहारा है। □

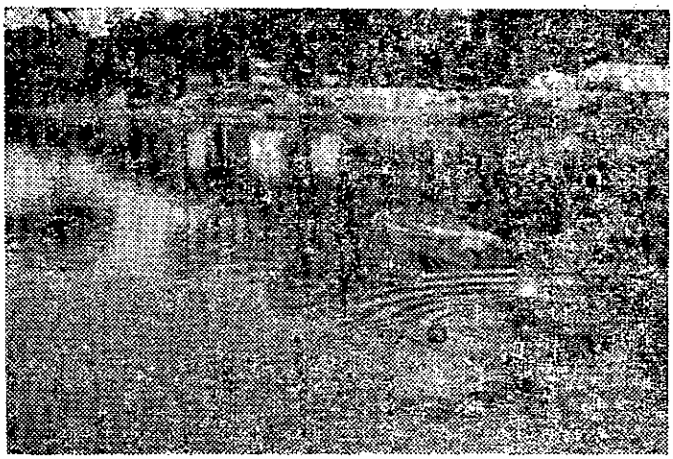

तमिलनाडु के गांवों में मछली के तालाब

तमिलनाडु के गांवों में तालाब घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। पर गर्मियों में तालाबों में ठंडक का आनन्द भी मिलता है। मनुष्य और जानवर तालाबों में नहाते हैं और मच्छरों के झुण्ड भी इनमें पैदा होते रहते हैं। गर्मियों में जब पानी सूखने लगता है तो स्थानीय लोग इन तालाबों में से छोटी-छोटी मछलियां पकड़ते हैं।

किसानों के लिए तमिलनाडु मत्स्य विकास एजेंसी के गठन से इन गतिविधियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बैंकों के सहयोग से एजेंसी ने ग्रामीण लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया। शीघ्र ही यह पाया गया कि एक हैक्टेयर के तालाब में एक वर्ष में बीस हजार रुपये मूल्य की मछलियां पैदा की जा सकती हैं।

तमिलनाडु के दक्षिण अरकोट जिले के किसानों के लिए मत्स्य विकास एजेंसी ने अपने कार्य से सबकी आखें खोल दी हैं। कुड्डालोर के युनाइटेड कमर्शियल बैंक ने 500 से अधिक मत्स्य पालन करने वाले किसानों का पता लगाया और उनको एजेंसी द्वारा प्रायोजित इस योजना का लाभ पहुंचाया। यूको बैंक ने तात्कालिक खर्चों के अतिरिक्त तालाबों को पट्टे पर लेने, उनको साफ करने तथा बांधों को ऊंचा करने में समय पर ऋण देकर सहायता दी।

इन तालाबों में तीन किस्मों की मछलियां पाली जाती हैं। इसमें एक किस्म कटला मछली है जो तालाब की सतह में पैदा होती है। दूसरी किस्म राहू जाति की मछलियां हैं जो तालाब के मध्य भाग में पैदा होती है। तीसरी किस्म की मृगेल जाति की मछलियां पानी के ऊपर-निचली सतह पर पैदा होती हैं। इन तालाबों में सिल्वर कार्प, आम कार्प और हरी कार्प भी फलती-फूलती है।

इन मछलियों के लिए आहार बड़ी सावधानी से तैयार किया जाता है। सभी किस्म की मछलियों को अपने-अपने क्षेत्र में आहार उपलब्ध कराया जाता है।

कटला मछली पांच फुट के आकार तक बढ़ सकती है और इसका भार लगभग 50 कि० ग्रा० हो सकता है जबकि राहू तीन फुट तक बढ़ सकती है और इसका वजन लगभग 30 कि० ग्राम तक होता है।

किसानों के लिए मत्स्य विकास एजेंसी ने 5000 मत्स्य बीज उपलब्ध कराए। प्रत्येक बीज का वजन 15 ग्राम है। एक बार जब इनको तालाब में डाल दिया जाता है तो ये प्राकृतिक आकार लेती हैं और चावल, तथा गेहूं की भूसी और नारियल अथवा मूंगफली को पीस कर उसका पाउडर इनको खाने के लिए दिया जाता है।

पहले वर्ष के दौरान बड़े आकार की मछलियां पैदा की जा सकती हैं और उन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। एक वर्ष में एक उद्यमी किसान एक हैक्टेयर के तालाब में लगभग 1500 कि० ग्राम मछलियां पैदा कर सकता है। यदि एक किलोग्राम मछली की कीमत सात रुपये निर्धारित की जाए तो उसे 10,500 रुपये की निवल आय हो सकती है। परन्तु सावधानी बरतने और मनोयोग से एक तालाब में 3,000 कि० ग्राम तक मछलियां पैदा की जा सकती हैं।

(बलिया जनपद के विशेष संदर्भ में)

समन्वित ग्रामीण विकास में सेवा केन्द्रों की भूमिका

गणेश कुमार पाठक

ग्रामीण विकास गांवों के सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण की एक प्रक्रिया है। जो ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करती है, जिससे गांवों में रहने वाले लघु कृषकों, भूमिहीनों, श्रमिकों, दस्तकारों आदि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तथा साथ ही साथ शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, कृषि, संचार, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा विपणन एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान कर ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास के इन दो लक्ष्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार नहीं लाया जाता, गांवों के लोग शारीरिक तथा बौद्धिक अक्षमता के कारण आर्थिक विकास की योजना का का लाभ उठाने में असमर्थ रहेंगे। इसी तरह यदि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आता तो शारीरिक और बौद्धिक स्तर में भी सुधार नहीं आ सकता। एक में सुधार आने पर दूसरे में अनिवार्यतः सुधार आएगा। परन्तु यदि दोनों में सुधार लाने के साथ साथ प्रयास किए जाएं तो ज्यामितीय अनुपात में सुधार आ सकता है।

किन्तु समस्या यह है कि इन सभी सुविधाओं को प्रत्येक गांवों में नहीं पहुंचाया जा सकता। जिससे इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु ग्रामीण जनता को दूर स्थित केन्द्रों तक जाना पड़ता है। जिसके कारण उनका समय एवं श्रम दोनों बरबाद होता है। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सन्तुलित विकास एवं संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के विकेन्द्रित केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया में अधिक लाभ के स्थलों का चयन किया जाता है। ये स्थल ही सेवा केन्द्र के रूप में ग्राम एवं नगर के सामाजिक—आर्थिक दूरी को कम कर ग्रामीण विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये सेवा केन्द्र योजना के नीति निर्धारण में विभिन्न तरीकों से सम्मिलित रहते हैं तथा किसी विशेष नीति का प्रभाव, जो एक नियम पर आधारित होता है, उसमें ये सेवा केन्द्र देश के प्रत्येक सामाजिक-आर्थिक संगठन में ठीक बैठते हैं। सेवा केन्द्रों का आज प्राथमिक महत्व है। क्योंकि अपनी स्थिति से ये क्षेत्रीय जनसंख्या की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के ये केन्द्र ही ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। सामान्यतः ये सेवा केन्द्र अपने चतुर्दिक फैले क्षेत्रों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त सेवा क्षेत्र के उत्पादन अतिरेकों को विपणन की सुविधा प्रदान करते हुए उच्च श्रेणी के सेवा केन्द्रों से प्राप्त नव अभिज्ञानों को अपने सेवा क्षेत्र में प्रसारित कर कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाते हैं। अपने सेवा क्षेत्र के विकास के लिए श्रेयस्कर वातावरण के साथ ही साथ ये सेवा केन्द्र रोजगार के नए अवसर प्रदान कर नगरोन्मुख प्रवास को रोकने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सेवा केन्द्र रूपी ये अधिवास शहर एवं देहात तथा शहर एवं नगर के मिलन बिन्दु हैं, जो अपने प्रशासनिक सीमा क्षेत्र के निवासियों को आवश्यक सेवाएं प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रदान करते हैं, मनुष्य के सामाजिक-आर्थिक एवं भौगोलिक सम्बन्धों से सीधा सम्पर्क रखते हैं। ये सेवा केन्द्र निम्नलिखित सेवा कार्यों को करते हुए, समन्वित ग्रामीण विकास में सहायक रहते हैं :—

1. प्रशासनिक सेवा :—प्रशासनिक सेवाएं ग्राम सभा, न्याय पंचायत, विकास खण्ड मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, पुलिस स्टेशन एवं पुलिस चौकी के रूप में प्राप्त होती हैं। सेवा केन्द्रों के आकार एवं श्रेणी के अनुसार इन प्रशासनिक सेवाओं में से कोई न कोई प्रशासनिक सेवा प्रत्येक सेवा केन्द्र में (अपवाद को छोड़कर) विद्यमान रही है, जो अपने कार्यों द्वारा जनता को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करती है।

2. शैक्षिक सेवा :— शैक्षिक सेवा के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट कालेज, डिग्री

कालेज, स्नातकोत्तर कालेज एवं तकनीकी शिक्षा आदि प्राप्त होती है। जो अपनी सेवाएं प्रदान कर लोगों के बौद्धिक स्तर में सुधार करती हैं। शिक्षा वृहद् रूप से ग्रामीण विकास को प्रभावित करती है। यह आत्म विश्वास पैदा करने के लिए योजना में भाग लेकर उसको मूर्त रूप देने एवं उसकी क्षमता को बढ़ाने, स्थानीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण, राजनैतिक व सामाजिक चेतना, स्थानीय व राजनैतिक ढांचे के परिवर्तन में स्थायित्व, सामाजिक अन्याय को कम करने तथा आर्थिक समानता के लिए आवश्यक है।

3. यातायात सेवा :—सेवा केन्द्र सड़क यातायात एवं रेल यातायात से मुख्य रूप से जुड़े होते हैं। आजकल इस गतिशील समाज में कोई भी कार्य बिना यातायात सुविधा के सम्भव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो भाग इन केन्द्रों से सड़कों अथवा रेल द्वारा जुड़े होते हैं वहां के लोग आसानी से अपने मूल-भूत आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। कृषक सुविधापूर्वक अपने उत्पादन को बाजार में पहुंचा कर उचित लाभ प्राप्त करते हैं और समय की बचत कर अपना अतिरिक्त कार्य करते हैं।

4. संचार सेवा :—यातायात की तरह संचार सेवा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आजकल समय इतना मूल्यवान है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं जाकर सूचना देना संभव नहीं है। इस स्थिति में डाकघर व इन डाक घरों में प्राप्त तार तथा टेलीफोन सुविधा ही संचार का माध्यम है, जो इन सेवा केन्द्रों पर प्राप्त होते हैं, जहां से जनता अपने संचार कार्य का सम्पादन करती है।

5. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा :—शिक्षा की तरह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा भी मूल-भूत आवश्यकताओं में अपना स्वतन्त्र स्थान रखता है। क्योंकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा के अभाव में शारीरिक अक्षमता पैदा हो जाने पर उसका स्पष्ट प्रभाव श्रम पर पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। चूंकि प्रत्येक गांवों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं होती है, अतः ये गांव अपने समीप-वर्ती सेवा केन्द्रों से ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं।

6. कृषि सेवा :—भारत की लगभग 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। जो कृषि एवं तत्सम्बन्धी कार्यों पर निर्भर रहते हैं। अतः सक्षम विकास केन्द्र का सीधा प्रभाव उनके उत्पादन एवं लाभ पर पड़ता है। क्योंकि वहां उनके उत्पादन को बेचने तथा खरीदने की पर्याप्त सुविधा रहती है। इसके अतिरिक्त ये केन्द्र कृषि सम्बन्धी अन्य सामग्री जैसे उन्नत बीज, खाद, कृषि रक्षा सम्बन्धी कार्य तथा आधुनिक कृषि तकनीकी प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग कर कृषक अपने कृषि का विकास करते हैं।

7. वित्त सेवा :—जिन सेवा केन्द्रों पर वित्त विनियम की सुविधा है, वहां के समीपवर्ती गांव विकास के पथ पर अग्रसर हैं। इन लोगों के सेवा केन्द्रों पर स्थित बैंक से लघु उद्योगों, कृषि एवं पशुपालन आदि कार्यों हेतु ऋण प्राप्त हो जाता है। जिनका उपयोग कर ये लोग अपना आर्थिक विकास करते हैं। इनके अतिरिक्त इनके पास जब पैसा अधिक हो जाता है तो आसानी से बैंक में जमा कर देते हैं एवं उसका ब्याज पाते रहते हैं तथा गांव में चोरी के भय से भी मुक्त रहते हैं।

8. विपणन सेवा :—किसी भी विकास कार्य के लिए ग्रामीण बाजारों का अधिक महत्व होता है। ग्रामीण विकास में ये ग्रामीण बाजार केवल पूरक का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि कृषि व्यापार के पद्धति के पूर्व गठन में पूर्णतः स्वतन्त्र और उपयोगी भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण विकास की समग्र योजना के भीतर बाजार विकास कार्यक्रमों की खास जगह है। ग्रामीण खरीद—फरोख्त तन्त्र के गठन और संचालन में सुधार एक ऐसा महत्वपूर्ण, सशक्त और समन्वय कारी तत्व है जिस से सामान्य विकास के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं और लघु कृषकों तथा दूसरे ग्रामीण समुदायों को समान रूप से लाभ मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों से जनता को दैनिक उपभोग की प्रायः प्रत्येक वस्तुएं भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।

9. धार्मिक एवं सांस्कृतिक सेवा :—सेवा केन्द्रों पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य जैसे—मेला, राम लीला, ड्रामा, पुस्तकालय, वाचनालय तथा सिनेमा आदि की भी सुविधा रहती है, जहां जाकर ग्रामीण लोग अपना मनोरंजन करते हैं, जिससे उनका मन प्रसन्नचित रहता है और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

10. अन्य सेवाएं :—उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त ये सेवा केन्द्र अन्य सुविधाएं जैसे—कोल्ड स्टोरेज, पैट्रोल व डीजल पम्प घर, अग्निशमन सेवा, समाचार पत्र, विद्युत सेवा, जल वितरण सेवा आदि उच्च कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव विकास पर पड़ता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सेवा केन्द्रों का ग्रामीण विकास से सीधा सम्बन्ध है। इसीलिए भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि "कृषक का समय मूल्यवान रहता है। उसे विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं एक ही स्थान से खास तौर से उसी के नीचे जहां उसे ऋण मिलता है, वहीं अपनी उपज बेचता है तथा कृषि के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदता है, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास केन्द्र स्थापित किए जाएं। प्रत्येक केन्द्र लगभग 10,000 जन संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस प्रकार क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने तथा निचले स्तर पर नियोजन के लिए समुचित स्थलों पर सेवा केन्द्र के रूप में विकास केन्द्रों की स्थापना उपादेय है।" इसलिए स्थिति के महत्व के अनुसार ग्रामों को विकसित कर गांव रूपी कस्बे बनाए जा सकते हैं, जो विभिन्न ग्रामीण समूहों के कृषि तथा औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इन केन्द्रों पर विविध सामाजिक—आर्थिक संस्थाओं की स्थापना, उपभोग वस्तुओं के बाजार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षालय, मनो-रंजन तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना है। ये ग्राम, विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में तथा क्षेत्रीय नियोजन को व्यवस्थित करने में सहायक हो सकेंगे। इस प्रकार इन सेवा केन्द्रों और उसके चारों ओर स्थित देहात का सम्बन्ध व्यूह रचना की तरह भीड़भाड़ पर आधारित रहता है, जिसका प्रयोग ये सेवा केन्द्र क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास के लिए करते हैं। अतः स्पष्ट है कि ये सेवा केन्द्र समन्वित ग्रामीण विकास हेतु मेरुदण्ड का कार्य करते हैं।

इस प्रकार सेवा केन्द्रों के उपर्युक्त महत्व को देखते हुए बलिया जनपद के सेवा केन्द्रों को भी समन्वित ग्रामीण विकास का आधार माना जा सकता है। बलिया जनपद में केवल उन्हीं अधिवासों को सेवा केन्द्र के अन्तर्गत रखा गया है जिनकी जन संख्या कम से कम 1,000 (अपवाद को छोड़कर) हो तथा वहां पर कम से कम प्राथमिक विद्यालय, उप डाक घर, बाजार (सप्ताह में कम से कम एक दिन), प्राइवेट अथवा सरकारी चिकित्सा सुविधा तथा दैनिक उपभोग की कम से कम 10 दुकानें हों। इसके साथ ही साथ इन सेवा केन्द्रों के निर्धारण हेतु प्रत्येक अधिवास (जो सम्भावित सेवा केन्द्र थे) का व्यक्तिगत सर्वेक्षण किया गया और इन केन्द्रों पर स्थित सभी सेवा कार्यों को उनके महत्व के अनुसार एक विशेष अंकमान प्रदान किया गया और इस प्रकार जिस अधिवास को कम से कम 15 अंक मिला उसे ही सेवा केन्द्र माना गया है।

उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर बलिया जनपद में कुल 106 सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये सेवा केन्द्र बलिया, नगवा, दुबहर, बसरिका पाह, छाता, डुमरी, मनियारी जसांव (बांसडीह रोड), शेर ग्राम, मिढ्ढा सागरपाली, जीरावस्ती, करनई, वसन्तपुर, मुस्तकहम, हनुमान गंज (ब्रह्माइन), फुफेना, लालगंज (सोनवरसा), बहुआरा, मुरलीछपरा, कोड़रहा उपरवार, बेलहरी, सोनवानी, बिगही, मझौवां, हल्दी, रेपुरा, सीताकुण्ड, नीरपुर, टेंगरहीं, चकिया जमालपुर, दूबेछपरा (गोपालपुर), दया छपरा, रानी गंज (कोटवां), बैरिया, नरहीं, कारों, सोहांव, चितबड़ा गांव, बांसडीह, खरौनी, सेरीया केवरा, छितौनी, चांदपुर, रेवती, हड़िहाकला, डुमरिया, सहतवार, हुसेनाबाद, सीसोटार, सिकन्दरपुर, डुहांविहरा, नवानगर, चड़वांबरवां पुर, पक्कड़ी गढ़मल पुर, खाड़सरा, खोजुरी, पन्द्रह, मनियर, जिगरसड़, बेरुआरवारी, सुखपुरा, करम्मर मइरीटार, राजपुर, रसड़ा, कोटवारी, जाम, कुरेम, अठिला, माधोपुर (पक्कवाइनार), सराय-भारती, रतनपुरा, हलधरपुर, चकरा, बेलौंझा, कनसो, चिलकहर, सर्वरा, कुरेजी, हजवली, डुखरी, सलेमपुर, अवराइकलां, भीमपुरा, डीहां, नगरा, नरहं जमूआव खान्डवा, राजपुर, ताड़ीवड़ा गांव, बेलथरा बाजार, हल्दीरामपुर, सीयर, बेलथरा रोड, इब्राहिम पट्टी, किड़िहरापुर, और चरीवां, हैं। ये सेवा केन्द्र अपने विभिन्न सेवा कार्यों द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

बलिया जनपद में उपर्युक्त सेवा केन्द्रों के होते हुए भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी प्राथमिक सुविधाएं सुगमतापूर्वक नहीं मिल पा रही हैं। अतः इन क्षेत्रों में कुछ चुने हुए गांवों का विकास कर उनको सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करना आवश्यक है, ताकि सम्पूर्ण जनपद का समुचित विकास हो सके।

सेवा केन्द्रों के वर्तमान वितरण को देखते हुए 44 नए सेवा केन्द्र प्रस्तावित हैं। ये नए प्रस्तावित केन्द्र शिवरामपुर, आखार, भड़सर, ओझवलिया, नरायन पुर, मझौली, गुरवां, माल्देवपुर, पचखौरा, हब्राहिमाबाद उपरवार, कोड़हरा उपरवार, मुण्डाडीहि, जवहीं, श्रीनगर, रामपुर, हालपुर, झरकलहीं सीवान कलां, कोथ, इकइल, काजीपुर, बहदुरा, अपाइल, बडसरी, जागीर मुड़ियारी, परसियां छिछोरकरौंदी, अइलख, सिकरियां कलां, कसोडर बरौली, रामपुर, चन्देल, इन्दौली, मलकौली, सुलतानपुर, चैनपुर, गुलौरा, चैनदायर बालीपुर, तुर्तीपार, विठुआं, गोविन्दपुर, दुगौली एव मुहम्मदपुर हैं। यद्यपि इन केन्द्रों पर कुछ सुविधाएं पहले से ही विद्यमान हैं, अतः इनके विकास हेतु थोड़ा ही प्रयास करना है। इस प्रकार यदि बलिया जनपद में 150 सेवा केन्द्र हो जाएं तो जनपद की जनता को आवश्यक सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी और जनपद का विकास सम्भव हो सकेगा।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सरकार द्वारा जो भी विकास सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनका वितरण एवं सेवा संस्थाओं की स्थापना ऐसे स्थान का चुनाव कर करना चाहिए जिसकी स्थिति अपने क्षेत्र में केन्द्रीय हो ताकि वहां से चारों ओर फैले क्षेत्रों में इन सुविधाओं की पहुंच जनता तक सुविधा पूर्वक हो सके। ऐसा देखने में आया है कि हमारी विकास एजेंसियां प्रभावशाली लोगों अथवा राजनैतिक नेताओं के दबाव में आकर इन विकास से सम्बन्धित आस्थाओं की स्थापना ऐसे स्थानों पर कर देती है जहां से जनता को समुचित लाभ नहीं मिल पाता। अतः इनकी स्थापना हेतु उपर्युक्त केन्द्रों का निर्धारण करना। योजनाओं का प्रथम प्रयास होना चाहिए और तदनुसार ही उसे क्रियान्वित कराना चाहिए। ●

प्राध्यापक, भूगोल विभाग
महाविद्यालय, दुबेछपरा, बलिया

जिला उद्योग केन्द्र कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1981-82 के दौरान 333 जिला उद्योग केन्द्रों ने 3.08 नए उद्योग एकक स्थापित किए जिनमें से 2.38 लाख दस्तकार प्रमुख इकाइयां और 70,000 लघु स्तरीय उद्योग एकक थे, जिनमें 9.57 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। कुल जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या 395 है जिनके अन्तर्गत देश के 408 जिले हैं। 1981 में स्थापित अखिल भारतीय हथकरघा तथा हस्तकला बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय इकाइयों को बढ़ावा देना है। 1955 में स्थापित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्राम्य कला के विकास के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं।□

इन्हें भी स्नेह चाहिए

अंकुश्री

शेर कितना भयानक जानवर है ? नाम सुनते ही पसीना आ जाता है । हाथी धरती का सबसे बड़ा जिंदा जानवर है । शरीर इतना विशाल कि रौंद दे तो हड्डी-पसली एक हो जाए । सांप ! अरे बाप रे ! फन काढ़े विषैले सांप की फुंफकार सुन कर किसका कलेजा नहीं कांप जाए !

लेकिन भयानक शेर हो या विशाल हाथी अथवा विषैला सांप, सभी को मनुष्य ने पालतू बनाया हुआ है । शेर को पालतू बनाने वाले दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के श्री अर्जुन सिंह का नाम कौन वन्य प्राणी-प्रेमी नहीं जानता ? हाथी तो सरेआम सड़कों पर पालतू जानवर के रूप में घूमते हुए देखे जा सकते हैं । बीन की मधुर आवाज पर फन काढ़ कर थिरकते हुए सांप सड़क-किनारे लगने वाले मजमों में आए दिन दिखाई देते हैं ।

शेर, हाथी और सांप की तरह हिंसक कहे जाने वाले अनेक वन्य-प्राणी न केवल पालतू बन जाते हैं, बल्कि ये आज्ञा का पालन भी करने लगते हैं । बंदर और भालू को मदारियों के कहने पर खेल दिखाते हुए किसने नहीं देखा होगा ?

वन्य-प्राणियों को न केवल पालतू बना लेना बल्कि उससे यथा-इच्छित खेल दिखवाना या काम करवाना भी संभव हो जाता है । यह सब उन्हें दिए गए स्नेह के कारण ही हो पाता है । वन्य-प्राणियों की यह विशेषता होती है कि वे किसी को बिना छेड़े नुकसान नहीं पहुंचाते हैं । आमतौर पर वन्य-प्राणी मनुष्य को देख कर रास्ते से हट जाते हैं ।

स्नेह केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है । स्नेह की बदौलत हम वन्य-प्राणियों का भी दिल जीतने में सफल हो जाते हैं ।

चिड़ियाघरों और राष्ट्रीय उद्यानों में पशुपालक हुआ करते हैं । पशुपालकों का काम वन्य-प्राणियों की देखभाल एवं उन्हें भोजन आदि कराना होता है । हिंसक कहे जाने वाले वन्य-प्राणियों को अपना स्नेह देकर अनेक पशुपालक उन्हें पालतू और आज्ञाकारी बना लेते हैं । चिड़ियाघरों में भी वन्य-प्राणियों को भोजन देने या उनके पिंजरों की सफाई करने वाले पशुपालक वन्य-प्राणियों से घुल-मिल जाते हैं । वन्य-प्राणी उन पशुपालकों की वांछित बातें मानने के लिए तैयार रहते हैं । पशुपालकों और वन्य-प्राणियों का यह संबंध स्नेह पर आधारित होता है ।

स्नेह की बदौलत न केवल वन्य-प्राणियों का दिल जीता जा सकता है, बल्कि उनकी रक्षा भी की जा सकती है । स्नेह की बदौलत वन्य-प्राणियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है ।

वन्य-प्राणियों की आवश्यकता या उपयोगिता से आज पूरी दुनिया अवगत हो गई है । वन्य-प्राणी केवल वनों की शोभा ही नहीं, पृथ्वी की बहुत बड़ी धरोहर हैं ।

नयनाभिराम रूप एवं आदतों की विविधता के कारण वन्य-प्राणियों से आकर्षित होकर लोग उन्हें देखने के लिए वनों एवं चिड़ियाघरों में जाते हैं । कई देशों में वन्य-प्राणियों को देखने आए पर्यटकों से लाखों रुपये की आय होती है । अफ्रीका के वन्य-प्राणियों ने पर्यटकों को अधिक आकर्षित किया है ।

वन्य-प्राणी केवल मनोरंजन या पर्यटन के साधन भर ही हैं, ऐसी बात नहीं है । हम पृथ्वीवासियों के लिए वन्य-प्राणियों का बहुत महत्व है । हमारे इर्द-गिर्द की छोटी-बड़ी अनेक घटनाएं वन्य-प्राणियों से प्रभावित होती हैं । पर्यावरण पर वन्य-प्राणियों का जितना प्रभाव पड़ता है, उतना किसी भी अन्य पर्यावरणीय घटक का नहीं । वन्य-प्राणी पर्यावरण के महान नियंत्रक होते हैं एवं पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं ।

उपयोगी एवं लाभप्रद होने के बावजूद कुछ दशक पूर्व तक शिकारियों ने बेरोक-टोक वन्य-प्राणियों का शिकार किया है । शिकार के शौक या व्यवसाय की वेदी पर इनकी खुल्लम-खुल्ला हत्या होती रही है । भारत में ऐसे अनेक राजा-महाराजा थे, जो शिकार का आदर्श कायम करने के लिए वन्य-प्राणियों की हत्या करने में अपनी बहादुरी समझते थे । कहा जाता है कि अपने जीवन काल में अकेले सरगुजा के महाराजा ने 1150 और उदयपुर के महाराजा ने 1000 बाघों का शिकार किया था । दो-तीन सौ बाघों का शिकार करने वाले राजा-महाराजाओं की संख्या तो अनगिनत है ।

बेरोक-टोक शिकार के परिणामस्वरूप बहुत सारे वन्य-प्राणी न केवल मार डाले गए, बल्कि कुछ के वंश भी खत्म हो गए । पूरे भारत में पाए जाने वाले वन्य-प्राणी चीता शिकार के कारण विलोपन के कगार पर पहुंच गया । बाघ की जाति खत्म तो नहीं हुई लेकिन इसके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह अवश्य लग गया ।

बाघ एशिया का एक विशेष वन्य-प्राणी है । एशिया को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में बाघ वनों में अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं, बल्कि केवल चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं । प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व भारत में जहां करीब 40 हजार बाघ थे वहीं 1972 में इनकी संख्या घटकर 1800 पर पहुंच गई थी । बाघ की तरह अनेक दूसरे वन्य-प्राणियों की भी दर्दनाक हत्या की गई, जिससे या तो वे खत्म हो गए या उनकी संख्या कम हो गई ।

वन्य-प्राणियों के दर्दनाक अंत का पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ा है । लेकिन अब हम सावधान हो गए हैं और 1972 से इनके संरक्षण के प्रयास में पूरे जोर-शोर से लग गए हैं ।

स्नेह और संरक्षण पाकर वन्य-प्राणियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है । □

निकट 19 बटालियन, एन० सी० सी०, रांची–834009 (बिहार)

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

एक रिपोर्ट

सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 24 से 27 अप्रैल, 1984 तक पश्चिम बंगाल का दौरा किया ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशुओं के लिए ऋण देने की पद्धति और समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए 5 मई, 1984 को एक बैठक बुलाई गई थी । यह एक समन्वेषी बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि और सहकारिता विभाग तथा कुछ चुने हुए राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सम्बन्ध में समस्याओं का समाधान निकालने के लिए और बैठकें आयोजित किए जाने की संभावना है ।

31 मार्च, 1984 तक संकलित की गई सूचना के अनुसार, 1983-84 के दौरान 32.90 लाख लाभभोगियों को सहायता दी गई है । इनमें से 13.43 लाख लाभभोगी (40.8 प्रतिशत) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 1984-85 के लिए 230 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में बंटित की गई है । वर्ष 1984-85 की पहली दो तिमाहियों के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को 1,63,285 मीटरी टन खाद्यान्न बंटित किया गया है ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति ने 9-4-1984 को हुई अपनी बैठक में 6,018.25 लाख रुपये की लागत वाली 20 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं । अब तक अनुमोदित की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 150 हो गई है, जिनकी लागत 457.51 करोड़ रुपये है । पहले से स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा करने और संचालन परियोजनाओं की प्रगति के बारे में समीक्षा करने और संचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के निराकरण पर चर्चा के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया गया ।

प्रशिक्षण

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में ग्रामीण विकास नीतियों पर राष्ट्रीय परामर्श विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(2) समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, गोहाटी के क्षेत्रीय केन्द्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए समन्वित ग्रामीण विकास पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया ।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने क्षेत्रीय केन्द्र गोहाटी में 24-4-1984 से 28-4-1984 तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम के प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं और ग्रामसेविकाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया था ।

कृषि विपणन

मंडियों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता के अनुदान की संस्वीकृति समिति की एक बैठक 5-5-1984 को हुई थी । इस समिति के विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 587.80 लाख रुपये की राशि के प्रस्तावों को अनुमोदित किया ।

2. विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है ।

3. ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु योजना की समीक्षा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है ।

4. समीक्षाधीन अवधि के दौरान विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय ने निम्नलिखित दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:—

(क) 1-3-1984 से 15-3-1984 तक तिरुपुर में

कपास की ग्रेडिंग, राज्य सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित, कपास के धन्धे में लगे बहुत से अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

(ख) तिरुचिरापल्ली में राज्य मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 16 से 18 अप्रैल, 1984 तक मण्डियों का सर्वेक्षण किया गया।

भूमि सुधार (एल० आर०)

फालतू जमीन के आबंटियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत सहायता की राशि को 1,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति हैक्टेयर करने के प्रस्ताव को व्यय, वित्त समिति ने मंजूर कर दिया है जिसका आधा-आधा व्यय केन्द्र और सम्बद्ध राज्य सरकार वहन करेंगी। यह सहायता, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और गरीबी निवारण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता और लाभों के अलावा होगी। लेकिन, कुल जितनी सहायता (ऋण को छोड़कर) का कोई आबंटी इस योजना के अन्तर्गत हकदार है, वह 8,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अन्तर-राष्ट्रीय सहयोग (आई० सी०)

(1) अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय को अप्रैल-मई, 1984 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुए एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन के 17वें सत्र में भाग लेने के लिए भेजा गया था।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश राज्यों से लिए गए तीन अधिकारियों को 30-4-1984 से 20-7-1984 तक ब्रिटेन में ग्रामीण विकास की आयोजना और मूल्यांकन विषय पर होने वाले प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

(3) बरमिंघम विश्वविद्यालय में 30 अप्रैल, 1984 से 20 जुलाई, 1984 तक आयोजित ग्रामीण विकास पर नए तैयार किए गए विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों आदि से लिए गए 11 अधिकारियों को भेजा गया था। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पश्चात् भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में 4 सप्ताहों का एक कार्यक्रम होगा जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति आंकड़े एकत्र करेंगे और क्षेत्रीय कार्य करेंगे।

विविध

31 मई, 1984 को समाप्त होने वाले पुणे में लगे व्यापार और उद्योग मेले में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भाग लिया, जो ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में भारत सरकार की गतिविधियां दर्शाने वाले एक प्रदर्शनी मण्डप के रूप में था। □

"करिश्मे नहीं भूखे पेट को भोजन की चाह"

राजेश दूबे

मन्दसौर और नीमच विकास खण्डों की राह में मल्हारगढ़ मध्य में है। इस विकास-खंड में एक ग्राम है बिल्लोद। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के साये में, वर्षों से उपेक्षित 23 नट परिवारों के 123 सदस्य आज इस स्थिति में हैं कि उन्हें अपने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए दो समय की रोटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही है। मेहनतकश स्वाभिमानी व कुछ कर गुजरने की तमन्ना धारण किए ये नट लोग वर्तमान में शासन द्वारा प्रदत्त 30×30 वर्ग फीट की 20 आवासीय कुटीरों की छाया में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। स्टेट बैंक आफ इन्दौर की मल्हारगढ़ शाखा ने इन 23 परिवारों को छः छः हजार रुपये की ऋण राशि स्वीकृत कर प्रदान की। 1500-1500 रुपये आवासगृह हेतु तथा दो-दो हजार रुपये सेवा व्यवसाय हेतु शासन ने प्रदान कर आत्मोत्थान का नवीन मार्ग प्रशस्त किया। शासन की जन कल्याणात्मक नीतियों से लाभ प्राप्त कर ये परिवार व इनके सदस्य लोहे की बड़ी बाल्टी 20-22 रुपये में तथा छोटी बाल्टी 15-16 रुपये में समीपस्थ ग्राम मल्हागरढ़, नीमच, पिपल्या, संजीत, झारड़ा तथा नाहरगढ़ के हाटों में बेचकर प्रतिमाह 500-600 रुपये कमाकर अपने धधकते पेट की ज्वाला शांत कर अपनी रोजी रोटी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।

आत्मबल को अपने जीवन के साथ लिए इन नट जाति के परिवारों की आकांक्षा है कि भविष्य में ये अपने इस छोटे से सेवा व्यवसाय का विकास कर कुछ बड़ी चीजें जैसे पलंग, लोहे की कुर्सी, छोटी आलमारी आदि शासन के आर्थिक सहयोग व तकनीकी मार्ग-दर्शन से निर्मित करें। आत्मसंतोष की झलक लिए नट जाति के वरिष्ठ सदस्य श्री पंजाबी खां, अलीभाई, हबीबभाई, शेरखां का मत है कि हम व हमारे परिवार अपनी पुस्तैनी हुनर नट-नटी का खेल भूल गए क्योंकि इसके रहते हमें दो समय की रोटी भी उपलब्ध नहीं होती थी लेकिन वर्तमान में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सुनहरी छाया के सान्निध्य में हमारे परिवार नित नई नयी खुशहाली व प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर होकर नए-नए कार्यों को अपनाकर आसानी से रोजी-रोटी जुटा रहे हैं। □

बंगला नं० तीन,
पोस्ट आफिस के पास,
रेलवे रोड, मंदसौर (म० प्र०)

सूखे कुओं में पानी : पर्यावरणवेत्ता श्री शरोफ के प्रयत्न

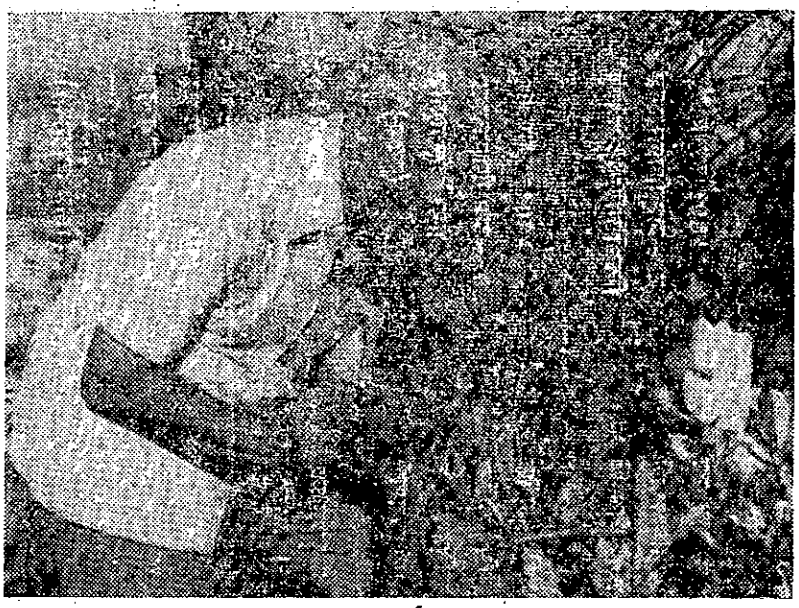

केमटैक फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए "पर्यावरणवेत्ता पुरस्कार" के लिए सबसे पहले श्री के०सी० शरोफ को चुना गया है। श्री शरोफ का कहना है कि "मुझे अपने जीवन में पेड़ और पौधों के बारे में काम करने से अपार खुशी मिली है।"

देश के पारिस्थितिकी तन्त्र में श्री शरोफ का योगदान अद्वितीय है। वे औद्योगिक अपशिष्ट के उपयोग के क्षेत्र में अग्रणी हैं। भूमि-सुधार तकनीक के जिस माध्यम, में पेड़ों और सब्जियों के छिलके इस्तेमाल होते हैं, से पता चलता है कि उसमें बहुत विषैले अपशिष्टों का उपयोग भी प्रभावी और किफायती ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने लवणयुक्त भूमि में एक सफल सामाजिक-आर्थिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया है। वे 1975 से 1977 तक जैव रासायनिक विकास परिषद् के अध्यक्ष रहे। उन्होंने पर्यावरण से संबंधित भारत सरकार की विभिन संस्थाओं में काम किया है। वे पिछले चार दशकों से मानव जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते रहे है।

सूखे कुओं में पानी

आठ वर्ष पूर्व, कुओं के सूख जाने के कारण बड़ौदा में एक रासायनिक संयंत्र एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा था। श्री शरोफ ने निकटवर्ती विश्वामित्र नदी से पानी लाने की बात सोची परन्तु पानी घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों से प्रदूषित था। फिर भी, उन्होंने कार्यस्थल तक पानी लाने के लिए एक किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाई और लुकैना, युक्लेप्टिस, कसूआरिना और नीम के पेड़ भारी संख्या में लगाए। इससे पानी स्वच्छ हुआ और सूखे हुए कुएं फिर से भर गए। पानी को पुनः इस्तेमाल करने योग्य पाया गया। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे और मिट्टी पानी छानने का काम करते हैं और अपशिष्ट जल को परम्परागत अपशिष्ट शुद्धीकरण तरीकों से बेहतर स्वच्छ करते हैं। यह पद्धति प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावी है।

उन्होंने अम्बोली, गुजरात में एक रासायनिक परिष्करण उद्योग के अपशिष्ट को फिर से इस्तेमाल करके 0.4 एकड़ भूमि की सिंचाई की। परिष्करण इसमें सभी अप-शिष्ट खप गए। तालाब के चारों ओर वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के कारण वहां पर्यावरण ही बदल गया है।

सौर वाष्पीकरण

उन्होंने रसायन अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट से अलग करने और सूर्य की किरणों से, एकत्रित पानी के वाष्पीकरण हेतु एक सरल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया इसके लिए उन्होंने एक सौर वाष्पी तालाब का डिजाइन तैयार किया है। इस प्रौद्योगिकी को अपनाने पर इसे प्रभावी और किफायती पाया गया है।

वे अपने वैज्ञानिकों के दलों को खारे क्षेत्रों, समुद्री किनारों, रेगिस्तानों और सूखापीड़ित क्षेत्रों में वहां उगने वाले पौधों का पता लगाने के लिए भेजते हैं। उन्होंने एक सौ से अधिक प्रकार के पौधों पर अध्ययन किए हैं।

विभिन्न प्रकार की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के हल करने के लिए बम्बई की गंदी बस्तियों से लेकर असम के पहाड़ी क्षेत्रों तक परीक्षण किए हैं। वे कहते हैं: भारत कभी नहीं टूट सकता। अन्य स्थानों में सभ्यता नष्ट हुई है लेकिन भारत में कभी नहीं। भारत के पास असीमित उदारता है जिसने इस देश को "सुजलाम सुफलाम" रखा है। वह सदा "सुजलाम सुफलाम" रहेगा।

वे कहते हैं "इस देश में प्रत्येक किसान अपने ढंग का परिस्थितिकीविद है। उसने देश की संस्कृति अखंड रखी हुई है। वह पेड़, पानी और सूर्य की पूजा करता है। भारतीय कृषक एक वास्तविक

पर्यावरणवेत्ता है। पूरा परिस्थितिकी तन्त्र उसके लिए ईश्वर है।"

प्रकृति की पूजा

श्री शरोफ प्रकृति के पुजारी हैं। अपने प्रदूषण रहित रसायन कारखाने में उनका एक छोटा सा बागीचा है। श्री शरोफ कहते हैं कि पेड़ उनके लिए एक विश्वसनीय संवेदनशील उपकरण हैं जिससे प्रदूषण का पता चलता है। वे सूर्य की पूजा करते हैं। वे सूर्य को प्रणाम करते हैं। उनका कहना है कि "सूर्य लाखों वर्षों से चमक रहा है और आगे भी लाखों वर्षों तक चमकता रहेगा।"

वे एक अच्छे पारिस्थितिकीविद हैं। वे कहते हैं देश के विभिन्न भागों में पर्यावरण के स्तर में सुधार से सरकार और लोगों के प्रयासों से यह देश सदा जल प्राकृतिक सम्पदा से पूर्ण रहेगा। □

मिजोरम वासियों के लिए अधिक मछलियां

केन्द्र शासित प्रदेश मिज़ोरम में लगभग 3,000 निजी मछली पालने के तालाब चालू हालत में हैं।

इन्हें सरकार द्वारा दी गई कुल 17 लाख रुपये की सहायता से खोला गया है।

सर्दियों के महीनों में लोग इन तालाबों से मछली पकड़ते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को लगभग तीन से चार क्विंटल मछलियां मिल जाती हैं।

इससे पूर्व, मिजोरम के निवासी पानी में डायनामाइट का विस्फोट करके मछलियां पकड़ते थे जिससे उस क्षेत्र की सारी मछलियां मर जाती थी अथवा वे लोग पुराने तरीके के जाल का प्रयोग कर मछलियां पकड़ते थे जिसमें छोटी मछलियां नष्ट हो जाती थीं। कई बार वे विषाक्त भी हो जाती थीं। डायनामाइट का विस्फोट करने से कई लोग अपंग भी हो जाते थे। लोगों को बाज़ार में मिलने वाली मछलियों के कई बार विषाक्त हो जाने से उन पर विश्वास भी नहीं रह गया था।

मिजोरम के एक अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद मत्स्यपालन विभाग ने मछली पालने एवं पकड़ने की इन विनाशकारी विधियों से लोगों को अलग करने के लिए हर संभव प्रयास किए। लोगों को नए तरीके अपनाने में लगभग 20 वर्ष लग गए।

मत्स्यपलन विभाग से प्रोत्साहन मिलने पर लोगों ने पहाड़ी नदी नालों पर छोटे रोक बांधों का निर्माण किया। इस प्रकार इन जलाशयों में मछली पालन शुरू हुआ। धान के खेतों को भी मछलियों के तालाबों में बदल दिया गया। इस विधि से मछलियों का विकास करने के लिए सरकार ने लगभग 230 किसानों को प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही कैल्टा, रोहू, मृगल, सिल्वर कॉर्प एवं ग्रास कार्प मछलियों के बीज (आंगुलिक) भी इन तालाबों को सप्लाई किए गए। यह पाया गया है कि कार्प मछली इन तालाबों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं।

तालाबों के शान्त जल में बहते पानी की अपेक्षा मछलियां अधिक तेजी से विकसित होती हैं। लोगों ने यह समझ लेने के बाद कि मछलियों का ढंग से पालन अधिक लाभकर है, व्यापक विनाश की पुरानी विधियों को छोड़ दिया है।

मिजो लोगों को मछली बहुत प्रिय है। सर्दियों के महीनों में पकड़ी गई मछली को धुएं में सेककर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। अब मिजोरम के लोग सरकार की सहायता एवं परामर्श से इन तालाबों से मछलियों की उचित मात्रा की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त हैं। □

इलाहाबाद जिले में सामाजिक वानिकी

प्रमोद सिंह
एवं
पारसनाथ पाठक

पर्यावरण एवं पारिस्थितिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए, वानस्पतिक आवरण की सुरक्षा एवं निरन्तर वृद्धि आवश्यक है । देश में 22.3 प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं । जबकि कम से कम 33⅓ प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है । वनों की क्षति वृक्षों के नाजायज कटाव, वन भूमि पर अतिक्रमण, अग्नि दुर्घटनाएं तथा अनियन्त्रित चुगान एवं शाखतराशी से होती है ।

भारत में प्रति व्यक्ति वनों की उपलब्धि 0.14 हैक्टेयर है, जबकि विश्व औसत 1.4 हैक्टेयर है । प्रति व्यक्ति वनों की उपलब्धि कनाडा 14.2 हैक्टेयर, आस्ट्रेलिया 7.6 हैक्टेयर, रूस 3.6 हैक्टेयर तथा अमरीका 1.3 हैक्टेयर है ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में देश का चौथा परन्तु आबादी की दृष्टि से पहला राज्य है । यहां कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.39 प्रतिशत भाग में वन पाया जाता है । प्रति व्यक्ति केवल 0.046 हैक्टेयर वन उपलब्ध है । इतना ही नहीं मैदानी क्षेत्र जहां 85 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वनों का क्षेत्र केवल 7 प्रतिशत है । इन वनों का 79.3 प्रतिशत वन विभाग के अधीन तथा शेष 20.7 प्रतिशत में 15.7 प्रतिशत सिविल एवं सोयम वन, 4.6 प्रतिशत पंचायती वन, 0.3 प्रतिशत निजी वन एवं 0.1 प्रतिशत म्यूनिसिपल, कैन्टोंनमेंट तथा अन्य हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने वनों के विदोहन का समस्त कार्य सन् 1983–84 से उत्तर प्रदेश वन निगम को दे दिया है जिससे कि वनों के अन्धाधुन्ध कटाई पर रोक लगाई जा सके । वन्य जन्तु संरक्षण हेतु अजन्तु संरक्षण अधिनियम, 1972 भी लागू किया गया है । इसके अतिरिक्त 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर वाले पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों के वाणिज्यिक पातन पर रोक लगा दी गई है । राज्य सरकार लोगों में वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु 'आरण्यक' नामक मासिक प्रपत्र प्रकाशित कर 2 लाख प्रतियां राज्य में वितरित करती है । मैदानी क्षेत्रों में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु 42 जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत के एक हैक्टेयर क्षेत्र में पौधशालाएं स्थापित की जाएंगी । सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत सड़क एवं नहर के किनारे रेत के किनारे निम्न वर्गीय वन भूमि एवं गांव समाज की खाली पड़ी भूमि पर वन, लगाने का कार्यक्रम है, जिससे खाली पड़ी भूमि का उचित उपयोग होता रहे । इसके अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस प्रकार से किया जाएगा जिससे ग्रामीणों में धीरे–धीरे वृक्षों के प्रति जागृति एवं ज्ञान उत्पन्न हो और वृक्षारोपण में उनका योगदान बढ़ता जाए । गांव सभाओं द्वारा गांवों में गांव वन समितियां बनाई जाएंगी । ये समितियां बाद में इन रोपवनों के विषय में नीतियां तथा कार्यक्रम कार्यान्वित सम्बन्धी निर्णय लेंगी । वन विभाग इस कार्य में तब तक सहयोग देता रहेगा जब तक कि ग्राम सभाएं स्वयं इसका प्रबन्ध देखने में सक्षम नहीं हो जाती हैं ।

इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए गांवों में कृषि वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है । इसके अन्तर्गत गांवों में पौधशालाओं को स्थापित किया जाता है । ये पौधशालाएं वानिकी विकास चेतना केन्द्र हैं जहां से वृक्ष रोपित करने वाले उत्साही व्यक्तियों को आवश्यक ज्ञान तकनीकी जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता एवं उचित प्रजातियों के स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं ।

कृषि वानिकी हेतु प्रत्येक पौधालय के समीपस्थ गांवों में से दो ऐसे गांव चुने जाएंगे जिसके अधीन एक–एक लाख वृक्ष प्रति गांवों में लगाए जाएंगे तथा इसके अतिरिक्त 20 गांव ऐसे चुने जाएंगे जिसमें 10,000 वृक्ष प्रत्येक गांव में लगाए जा सकेंगे । इस प्रकार प्रत्येक पौधशाला के चारों ओर 22 गांवों में 4 लाख वृक्ष लगेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार ने सन् 1983 में 4,000 वानिकी पौधालय के माध्यम से 40 करोड़ वृक्ष लगाने का कार्य प्रारम्भ किया है । ये पौधशालाएं वृक्षारोपण क्षेत्र के निकट तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी भूमि, स्कूल, कालेजों, अलाभकर जोतों तथा बंजर भूमि पर हो सकती हैं । उत्तर प्रदेश में 13 लाख हैक्टेयर भूमि ऊसर है तथा उसमें 20,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि प्रति वर्ष जुड़ती जा रही है । ऊसर भूमि के उपचार करने में वनीकरण या पेड़ लगाने की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । पौधशालाओं की सुरक्षा खाई खोदकर प्राकृतिक बाड़ लगाकर, दीवार, तार (कांटेदार या जालीदार) लगाकर की जा सकती है । बाड़ के लिए मैदानी क्षेत्रों में बबूल, प्रोसोपिस, जंगल जलेबी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में रिंगाल, किलमोडा, कन्डेली, नागफनी उपयुक्त होती हैं ।

ग्रामीणों को सामाजिक वानिकी के बारे में आवश्यक ज्ञान देने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण पौधशालाओं को दिए जाने की व्यवस्था के साथ–साथ चेतना युक्त कृषकों को दूसरे क्षेत्र में सामाजिक वानिकी कार्य को दिखाने हेतु ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है । रोपणों से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु उत्पादन पूर्व एक या दो वर्ष पहले खादी ग्रामोद्योग कमीशन तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करके ऊपज के उपयोग एवं

निर्मित वस्तु के विवरण हेतु पूरा प्रबन्ध कर लिया जाए जिससे नए लघु उद्योग गांव में स्थापित हो सकें तथा पुराने लघु उद्योग चिन्हित किए जाएं जिन्हें उस उपज की आवश्यकता हो ताकि सम्बन्धित ग्रामीणों या गांव सभाओं को उत्पादित वन उपज के उपयोग करने तथा निर्मित वस्तु के विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

इलाहाबाद जनपद की 7,35,660 हैक्टेयर भूमि में से केवल 20,142 अर्थात् 2.7 प्रतिशत भूमि पर वन हैं। यहां लगभग 31,089 हैक्टेयर अर्थात् 4.2 प्रतिशत भूमि बंजर पड़ी हुई है। जिसे आसानी से वनों के अधीन लाया जा सकता है। इलाहाबाद जिले की 9 तहसीलों में से 3 तहसील–मेजा, करछना एवं बारा उत्तरी मिर्जापुर वन प्रभाग के अधीन तथा 6 तहसील सिराय, चायल, मंझनपुर, सोरांव फूलपुर हंडिया इलाहाबाद सामाजिक वानिकी प्रभाग के अधीन हैं। सन् 1982 में सामाजिक वानिकी द्वारा 75,00,000 उत्तरी मिर्जापुर उप-अरेण्यपाल द्वारा 12,00,000 उद्यान विभाग द्वारा 11,00,000 तथा पंजीकृत निजी पौधशालाओं द्वारा 2,00,000 पौधे वितरित किए गए। दो प्रभाग एक जिले में होने से प्रशासनिक बजट एवं आंकड़ों की उपलब्धता में काफी दिक्कतें आती हैं।

इलाहाबाद प्रभाग में इलाहाबाद जिले की कुल वन भूमि का 0.1 प्रतिशत भी भाग नहीं है अतः इस क्षेत्र में सामाजिक वानिकी का काफी महत्व है। इसके लिए अभी तक 34 पौधशालाओं की स्थापना की जा चुकी है। सन् 1983 में इनके द्वारा 54,47,739 पौधे उगाए गए। इस क्षेत्र में सन् 1977 से ही पौध रोपण का कार्य चल रहा है, उसके बाद योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सन् 1981–82 में इलाहाबाद में सामाजिक वानिकी प्रभाग का सृजन हुआ तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान सन् 1977 में 151 हैक्टेयर, सन् 1978 में 296 हैक्टेयर, सन् 1979 में 65.50 हैक्टेयर, सन् 1980 में 310.31 हैक्टेयर, सन् 1981, में 370 हैक्टेयर, सन् 1982 में 400 हैक्टेयर तथा सन् 1983 में 300 हैक्टेयर वृक्षारोपण हुआ। सन् 1983 में वृक्षारोपण में कमी बजट की कमी के कारण हुई। सन् 1984 में 500 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

इलाहाबाद के चायल वनरा जिले के अन्तर्गत 315 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें 31 वन ग्राम समितियों का निर्माण किया जा चुका है। इस समय इस वनराजि के अन्तर्गत 8 पौधालय हैं जिनमें 6 ग्राम क्षेत्रों तथा 2 इलाहाबाद शहर में हैं। सन् 1978 में 10 हैक्टेयर, सन् 1980 में 40 हैक्टेयर, सन् 1981, में 85 हैक्टेयर, सन् 1982 में 80 हैक्टेयर तथा सन् 1983 में 42 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। सन् 1981 में सबसे अधिक भूमि पर वृक्षारोपण हुआ इसके बाद से कमी का एक प्रमुख कारण यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भ्रामक प्रचार रहा कि जिस भूमि पर वृक्षारोपण होगा उसे सरकार बाद में अधिग्रहण कर लेगी। इसके साथ बजट की कमी तथा सन् 1983 में सूखे के कारण भी वृक्षारोपण कार्य देर से शुरू किया गया।

इलाहाबाद शहर में वृक्षारोपण का कार्य सामाजिक वानिकी चायल वनराजि, नगर महापालिका तथा उद्यान विभाग करता है। इन तीनों के बीच समन्वय होने के कारण तीव्र गति से वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है। सामाजिक वानिकी द्वारा हड़तालों, स्कूल, मेडिकल स्कूलों रेलवे लाइन के किनारे वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। वृक्षारोपण का कार्य कमला नेहरू मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नवाब यूसुफ मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ताशकन्द मार्ग, राममनोहर लोहिया मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, दयानन्द मार्ग, सरोजनी नायडू मार्ग, चौधरी हीरा लाल मार्ग तथा न्याय मार्ग पर किया गया है। आज आवश्यकता यह है कि शहर की हर सड़क तथा आसपास के क्षेत्रों में तीव्रता से वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण का कार्य विभिन्न स्कीमों जैसे करैली, सुलेमसराय, गोविन्द पुर स्कीम क्षेत्र तथा प्रमुख सड़कों जैसे महात्मा गांधी सड़क, कैन्टोंमेंट क्षेत्र, बेली रोड, बमसी बांध, यमुना बैंक सड़क (कोटगंज से बेनी बांध तक), कुम्भ मेला क्षेत्र जैसे काली सड़क, त्रिवेनी रोड पर अविलम्ब किया जाना चाहिए।

सामाजिक वानिकी विभाग ने वक्सी बांध के दोनों ओर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम बनाया परन्तु सिंचाई विभाग ने इसका यह कहकर विरोध किया कि इससे बांध की उम्र कम हो जाएगी, परन्तु वास्तविकता यह है कि वृक्षों के बांध के दोनों ओर लग जाने पर न केवल इससे बांध की उम्र में वृद्धि होगी बल्कि पर्यावरण महत्व के साथ–साथ प्राकृतिक रमणीयता में भी वृद्धि होगी। इस बांध पर लोग सैकड़ों की संख्या में सुबह–शाम टहलने जाते हैं। उनके लिए भी प्राकृतिक सुहावना दृश्य उत्पन्न होगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के द्वारा जो वृक्ष लगाए जाते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है। बल्कि आम जनता की भी है। जिन जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है, बाड़ आदि की व्यवस्था के बावजूद लोग अपने पशुओं को उसके अन्दर चरने के लिए प्रवेश करा देते हैं तथा मना करने पर झगड़े आदि पर उतारू हो जाते हैं। सन् 1982 में इलाहाबाद प्रभाग ने रेल मार्ग पर 8,000 तथा प्रयाग से फाफामऊ रेल मार्ग पर 20,000 वृक्ष लगाए परन्तु पशुओं के चरने के कारण एक भी वृक्ष जीवित नहीं बचा।

आज हर कार्य हेतु हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, परन्तु देश के नागरिक होने के कारण हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हमारा है तथा हमारे हित के लिए शुरू किया गया है, अतः इसको सफल बनाने के लिए हम सबके सहयोग की इसमें आवश्यकता है। □

प्रमोद सिंह,
प्रवक्ता—भूगोल,
इलाहाबाद डिग्री कालेज,
इलाहाबाद
पारस नाथ पाठक
वन परिक्षेत्र अधिकारी,
चायल, इलाहाबाद

ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की समस्या

एक अध्ययन

प्रो० विमला उपाध्याय

ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति आय, खेती की अल्प उत्पादकता और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का समग्र विकास चाहते हो तो गांवों को स्वावलम्बी बनाओ, नारी शिक्षा और जागरण पर ध्यान दो। श्रम पूजा की चर्चा करते हुए उन्होंने नारी स्वावलंबन पर बल दिया है। जो भी देश आज समुन्नत है, विकसित है, उसके पीछे उसकी आत्म-निर्भरता का राज है, जिसमें महिलाओं की साझेदारी कम उल्लेखनीय नहीं है।

विकास और प्रगति की रोशनी अब गांवों में भी पहुंच रही है। महिलाएं जगी हैं, अपना उत्तरदायित्व समझने लगी हैं। परन्तु जिस वांछित जागरूकता और साधना की अपेक्षा है, उसका अभाव खलता है। वर्षों से पुराना जकड़ा संस्कार, —अंधविश्वास, पर्दाप्रथा, अशिक्षा आदि ने ग्रामीण महिलाओं के विकास को प्रोत्साहन नहीं दिया, वे अपने खाली समय का सृजनात्मक उपयोग करना चाहती हैं। आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, पर कहां है ऐसा माहौल, कहां हैं प्रोत्साहक तत्व?

बिना आर्थिक स्वाधीनता पाए राजनीतिक और सामाजिक स्वतन्त्रता कोई अर्थ नहीं रखती। अतएव, इसकी बड़ी आवश्यकता है कि गांवों में आर्थिक स्वावलंबन का प्रभात फूटे और उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। वे न अपने को उपेक्षित समझें और न दुर्बल। उन्हें अहसास कराया जाना चाहिए कि वे भी पुरुषों के समान परिवार के आर्थिक संरक्षण में समान रूप से सक्रिय हैं। इसके लिए उनका आर्थिक स्वावलंबन जरूरी है। अपनी समस्याओं, सीमाओं, विवशताओं और सामर्थ्य को पहचाने और पूरे परिवेश में उसकी भूमिका को समझे बिना न प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सकता है और न जनतंत्र की जड़ें गहरी ही जा सकती हैं। देश के कुल नागरिकों का लगभग आधा भार महिलाएं और कुल महिलाओं का 77 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाएं युग-युग से पुरुष की मुखापेक्षी हैं और अपने पिछड़ेपन के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर भी। इसलिए न केवल ग्रामीण महिला को विकास की रोशनी में लाना मुख्य मुद्दा है, वरन् उसे आत्मनिर्भर भी बनाना है। इस हेतु उसकी तदनुकूल शिक्षा-दीक्षा, प्रशिक्षण और उसकी मानसिकता का प्रक्षालन जरूरी है।

दो मोर्चा पक्ष जरूरी हैं—एक यह कि ग्रामीण महिला की शिक्षा और मानसिक स्तर बढ़े। ताकि वह कोई काम छोटा नहीं समझे और उसके श्रम को प्रतिष्ठा मिले। दूसरी यह कि उसके पूर्णकालीन/अंशकालीन रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाएं। समाज, सरकार का रुख उसके प्रति और सहानुभूतिपूर्ण हो, सहयोगात्मक हो। उसके लिए आर्थिक तथा तकनीकी सहायता का अधिक अच्छा प्रावधान हो।

ग्रामीण महिलाओं से विचार विमर्श किया गया। बाराबंकी जिले की बयालीस वर्षीय कौशल्या गुप्त विधवा हैं। उसके पति का उस समय देहान्त हो गया, जब उसके दो बच्चे छोटे-छोटे थे (उम्र 5 एवं 7 वर्ष)। रहने के घर के अलावा आर्थिक सहायता का कोई विकल्प नहीं था। घर बेच कब तक खाए। मेरे पूछने पर वह रोई। कहने लगी, "देहात का वातावरण, सुनसान इलाका, सिर पर विधवा नारी और दो बच्चे। मैंने आत्महत्या करनी चाही, पर बच्चों की याद कर रुक गई। आखिर बचपन में मां की सिखाई सीख काम आ गई। मैं खजूर के पत्तों को नाना रंग में रंग कर चटाई, डलिया, गुड़िया, आसनी, गोल ढक्केन, काला बाक्स, आदि बनाने लगी। पहले तो दिक्कत हुई, पर अब सब आसान हो गया। सारा माल निकटस्थ शहर में खप जाता है। मैं सुखी हूं बहन।" उनका साहसी जीवन प्रशंसा योग्य है। पूछा—'जरा दिक्केतों पर विस्तार से बताइए?' कहा कि "एक हो तो बताऊं। यहां तो दिक्कतें अपार हैं। प्रारम्भिक पूंजी, महज 6 रुपये, उसका जुगाड़ भी नहीं था। मैंने अपने पायल बेच दिए।..... जिधर निकलूं व्यंग्य, ताना। बड़ी तीसमारखां बनी है। गुप्त जी बड़े बाबू और बीवी के बनाए सामान बेचे। मैंने सब सहे।"

भागलपुर जिले के मिश्रपुर गांव की सुषमा मिश्र से मिली। कोई कमी नहीं है उसे। पति प्राचार्य, बेटे नौकरी में लगे हुए हैं, घर के पास उपजाऊ जमीन, पंपिंग सेट है। उनसे आदरपूर्वक विनम्र-वाणी में पूछा, "आप क्यों लग गई अंबर चर्खा चलाने और चलवाने में।" वह ठठाकर हंसती है और व्यंग्यबाण चलाती है, "अर्थशास्त्र की पंडित और नामी लेखिका होकर आप भी वही पूछती हैं।" मैं क्षणभर के लिए सकपका गई। फिर वह स्वयं कहने लगी, "जब ईश्वर ने मुझे इल्म और शक्ति दी तो मैं बेटे के आगे क्यों हाथ फैलाऊं। खुद भी कमाती हूं और अन्य गरीब बहनों को भी काम पर लगाती हूं।" पांच

अंदर चर्खे उनके घर प्रातःकाल से रात नौ बजे तक चलते हैं। उनका आत्म-विश्वास, संतोष, कर्त्तव्य निष्ठा देखकर मैं काफी संतुष्ट हुई।

रीवा (मध्य प्रदेश) के निकट के एक गांव की महिला हैं वासंती राय, उम्र पैंतालीस के आसपास, शिक्षा चौथी जमात तक। मैं उनके दरवाजे पर पहुंची, मिली तो देखा वह ऊन और सिलाई लिए हुए निकलीं। मैंने पूछा, "क्या मिलता है इस धंधे से? आप को कोई कठिनाई तो नहीं?" वह किंचित मुस्कान बिखेरती हुई कहने लगी, "आर्थिक मजबूरी के कारण मैं स्वेटर, शाल आदि बुनने की ओर प्रवृत्त हुई। बड़ा परिवार, पति की सीमित आय, नौकरी मुझे मिलती भी कैसे। आखिर अपनी इस कला पर ही भरोसा करना पड़ा। सीजन में छह सात सौ हर महीने मिल जाते हैं।.....(चेहरे पर दर्द का भाव) किसी के घर माल पहुंचाने जाओ, तो वह अच्छी नजर से नहीं देखता।... [फिर चुप्पी]..... क्या कहूं—एक संभ्रांत व्यक्ति ने तो हद कर दी। कहा—इतना बड़ा मेरा बंगला और आप स्वेटर बुनती फिरें। आओ हम लोग ..... मैं अपने पैसे लेने भी फिर नहीं गई।"

ये साक्षात्कार इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि उनमें असीम संभावनाएं हैं। करने की आस्था भी है। युग का यह तकाजा है पर जरूरत है प्रोत्साहन की। वयस्क शिक्षा, आंगनबाड़ी आदि की तरह उन्हें प्रारंभिक शिक्षा तो मिले ही, देश, काल, पात्रता, परिस्थिति और योजना के अनुसार उसे लघु और कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण मिले। ऐसी जागरूक एवं कर्मठ महिलाओं की एक सहयोग समिति हो, जिसमें उसे अपने अंश का पांच गुना सरकार सहयोग समिति धारा के अन्तर्गत सहायता दे। संभव हो, तो वह समिति विशेषज्ञों की सहायता और सरकारी ऋण से गांव में ही ऐसे उद्योग की स्थापना कर दे, जिसमें रोजगार की संभावनाएं लगातार बढ़ने की गुंजाइश हो। सरकारी सहायता में विलंब और परेशानी हो, तो पारस्परिक सहयोग (एक महीने का सारा चन्दा एक बहन को देकर प्रोत्साहित करना—फिर दूसरी को .....) एवं समाज के सहयोग से काम चलाया जा सकता है। इसके साथ उनके पति तथा समाज के लोगों का यह दायित्व है कि वे उनके सामानों की बिक्री की व्यवस्था संगठित कराएं। खादी ग्रामोद्योग भी उनके सामान खरीद सकता है।

आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार के लिए महिलाओं के स्वभाव आदि को ध्यान में रखकर ये काम सुझाए जा सकते हैं—डलिया, चटाई बुनना, रस्सी कातना, ऊनी परिधान बुनना, कढ़ाई करना, कसीदाकारी करना, कागज की लुगदी से खिलौने बनाना, बांस की डलिया, सूप आदि बनाना, मुर्गीपालन, गो पालन, मधु मक्खी पालन, कर्घा, चर्खा चलाना, कपड़ा बनना, दरी, शतरंजी बुनना, रेशम के कीड़े पालना, किचन गार्डन में मौसमी शाक सब्जी लगाना, कपड़े की सिलाई, रंगाई करना, बीड़ी बनाना, कागज के लिफाफे बनाना, कापियां बनाना आदि। इन कामों के लिए न अधिक तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा है और न अधिक पूंजी की और न बाजार ढूंढ़ने की। अतः इन कामों को वे आसानी से निपटा कर आत्मनिर्भर हो सकती हैं। सरकार कहे तो विशेषज्ञों का कैम्प लगाकार महीने-दो-महीने में उन्हें संबंधित काम का प्रशिक्षण भी दिलवा दे। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अन्य योजनाओं की तरह महिला आत्मनिर्भरता की योजना भी लालफीताशाही की शिकार न बन जाए। जब भी वे सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएं—सरकार पूर्ण लाभकारी सहयोग के लिए तत्पर मिले।

ग्राम प्रधान राष्ट्र के लिए, जिसकी 71 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने के लिए विवश है, जिसमें आधे भाग से कुछ अधिक महिलाओं की साझेदारी है, कुटीर उद्योग ही एकमात्र विकल्प हैं। इसी से उनकी सृजनक्षमता और कला कारीगरी को विकास-द्वार खुल सकता है। इसके लिए बड़ी क्रांति की जरूरत है, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है।□

अध्यक्षा, अर्थशास्त्र विभाग
एस० एस० एल० एन० टी० महिला महाविद्यालय,
धनबाद-826001

ग्राम और लघु उद्योग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ

देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 49 प्रतिशत उत्पादन ग्राम और लघु उद्योगों में होता है। 1981-82 में लघु स्तरीय उद्योगों के उत्पादों का मूल्य अनुमानतः 32,600 करोड़ रुपये था। इनमें लगभग 75 लाख लोगों को रोजगार मिला और इनमें निर्मित 2026 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं निर्यात कीं।

1982-83 में लघु उद्योग विकास संगठन ने लगभग 2,41,184 उद्यमियों को सहायता दी। लघु स्तरीय इकाइयों को इसके द्वारा सहायता 26 लघु उद्योग सेवा संस्थानों, 40 विस्तार केन्द्रों, 4 क्षेत्रीय मार्त्स्यिकी केन्द्रों, 1 उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास केन्द्र, 2 फुटवेयर प्रशिक्षण केन्द्रों और 4 उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह लघु-स्तरीय एककों को परामर्श सेवाएं तथा तकनीकी, प्रबंधकीय, आर्थिक और विपणन सहायता भी देता है।□

क्षेत्रीय नियोजन में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

डा० वाई० पी० सिंह

हमारे देश में नियोजना का मुख्य आधार मैक्रो स्तरीय है। इसमें योजनाएं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा केन्द्र और राज्य स्तर पर तैयार की जाती रही हैं। सरकारी तन्त्र इन योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। लगभग सत्तर करोड़ की आबादी वाले देश की योजनाएं, जिसमें विभिन्न विषमताएं हैं, केन्द्र व राज्य स्तर पर बैठकर तैयार करना उपयुक्त नहीं है। सरकारी तन्त्र भी विभिन्न बुराइयों की पकड़ में है जिसके कारण योजनाओं का तन्त्र भी विभिन्न बुराइयों की पकड़ में है जिसके कारण योजनाओं का लाभ आंशिक रूप से जनता को मिल पा रहा है। योजनाओं में जनता की आवश्यकता, रुचि व सहयोग की महत्ता कम है। सरकारी कार्यक्रम मान लेने के कारण जनता कम सहयोग देती है। सरकारी तन्त्र उनको सहयोग देने के लिए पूरी तरह उत्साहित नहीं करता है। स्थानीय संस्थाओं को जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है जिसके कारण योजनाओं पर अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी जनता उनसे आंशिक रूप से ही लाभान्वित हो पायी है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब आवश्यकता है गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और क्षेत्रीय नियोजन को महत्व अधिक दिया जाए।

माइक्रो स्तरीय नियोजन प्रणाली अधिकाधिक अपनाई जाए अर्थात् योजनाएं छोटे या क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों और संस्थाओं के सहयोग से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। इस प्रकार के नियोजन के लिए गांव को आदर्श इकाई माना जा सकता है। जनता के द्वारा गांव स्तर पर अपनी योजनाएं बनाकर जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर समन्वित की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए "ग्राम योजना" तैयार की जाएं। योजनाओं के निर्माण में प्रत्येक वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्ग का सहयोग लिया जाए। योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में युवक, महिला और पुरुषों के संगठनों का सहयोग लिया जाए। ये संगठन युवक मंगल दल, महिला मंडल, पंचायत, सहकारी संस्थाएं, समाज सेवी संगठन आदि हैं। इस प्रकार ये योजनाएं जनता के द्वारा जनता के विकास के लिए तैयार की जाएंगी। इससे जनता पूर्ण रूप से लाभान्वित होगी और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगी।

ग्रामीण नियोजन और स्थानीय साधन

ग्रामीण नियोजन भी ऊपर के स्तर पर ही होता है जिसका क्रियान्वयन सरकारी तन्त्र के द्वारा गांव स्तर पर किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करना पड़ता है। जन सहयोग न मिलने के कारण कर्मचारियों को कार्य करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रमों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी तन्त्र का कम से कम हस्तक्षेप हो। जिनके लिए कार्यक्रम है, उन्हीं के उत्साह की आवश्यकता है। ग्रामीण नियोजन करते समय क्षेत्रीय साधनों का पूरा ध्यान रखा जाए। सरकारी तन्त्र की अन्तिम कड़ी ग्राम्य विकास अधिकारी पर सभी विभागों के कार्यक्रमों को चलाने और उनकी सफलता की जिम्मेदारी आ पड़ती है। वह सभी कार्यक्रमों पर अपना ध्यान तभी दे सकता है जब कार्यक्रमों के लिए जन सहयोग भी मिले। सरकारी कर्मचारियों में त्याग, निस्वार्थ सेवा की भावना की आवश्यकता है। तभी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सफलता मिल सकती है और तभी जनता में कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता की भावना को दूर करने में मदद मिल सकती है।

जन सहयोग की आवश्यकता

ग्रामीण विकास की योजनाएं क्षेत्रीय स्तर पर जन सहयोग एवं स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जाएं। क्षेत्रीय विकास के किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जन सहयोग एक अनिवार्य शर्त है। जन सहयोग तभी संभव है जबकि ग्रामीणों को यह विश्वास हो जाए कि जो भी योजनाएं गांव में चलाई जाएंगी वे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास से सम्बन्धित होंगी और वे उससे होने वाले प्रत्यक्ष लाभ के भागीदार भी होंगे। तभी वे कार्यक्रमों में रुचि लेंगे और आवश्यकतानुसार सहयोग दे सकेंगे।

जन सहयोग योजनाओं को मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि योजना बनाने के स्तर पर भी स्थानीय लोगों और संस्थाओं का सहयोग लिया जाय। गांव स्तर पर योजनाएं तैयार करके विकास खण्ड और जिला स्तर पर समन्वित की जाए। यही कारण है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अरबों रुपये खर्च करके भी संतोषजनक सफलता या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाई है। निर्धनता की रेखा कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के सहयोग से बनी योजना में मुख्य बात यह होगी कि ग्रामीणों की स्थिति, रुचि, कार्यक्षमता का ध्यान रखकर बनेंगी तो उन योजनाओं को जन सहयोग बहुत सरल एवं न्याय संगत होगा।

कार्यक्रमों में जन सहयोग न मिलने से कार्यक्रम के परिणाम जल्दी और अच्छे न आ सकेंगे।

ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के द्वारा प्रयत्न किया है परन्तु ग्रामीण नियोजन की प्रक्रिया मैक्रो स्तरीय ढंग से होती रहीं। सामुदायिक विकास और पंचायती राज इस दिशा में पहला कदम था। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सरकारी दृष्टिकोण से ही देखा में इसी कारण यह देखा गया कि उनमें सेवा भावना की कमी रही। कार्यक्रम अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उनके निर्देशन में नाचता रहा। इन्होंने ग्रामीणों से जन सहयोग पाने की दिशा में भी प्रयत्न नहीं किया बल्कि ग्रामीण ही इनसे सम्पर्क करते रहे। ग्रामीणों की सरकार पर निर्भर रहने की आदत में प्रबलता आई। कार्यक्रमों के सुचारू रूप से न चल पाने के कारण ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के प्रति अविश्वास प्रकट होने लगा। योजना का क्रियान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो पाता है। धन के दुरूपयोग, देरी, भ्रष्टाचार आदि कारणों से योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है। ग्रामीणों में इन्हीं कारणों से आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता की कमी व्याप्त हो गई है। इसको दूर करने के लिए ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग से ग्राम स्तरीय योजनाएं तैयार करके जन सहयोग लेने की दिशा में कदम उठाए जाने से ही ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल सकती है।

ऐच्छिक संस्थाओं के द्वारा योजनाओं को जन सहयोग मिल सकता है क्योंकि अधिकांशतः यह देखा गया है कि संस्थाओं के सदस्यों में संस्था के प्रति आस्था और निष्ठा अधिक पाई जाती है। साथ ही इसमें स्थानीय लोग होने के कारण वे अपने क्षेत्र के विकास में अधिक दिलचस्पी लेते हैं और जन सहयोग भी इसको जल्दी मिलता है। स्थानीय जनता स्थानीय समस्याओं के बारे में अधिक जानता है और स्थानीय लोग समस्याओं के निराकरण में अधिक रुचि ले सकते हैं। उन्हें परिवारों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान रहता है एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध साधनों की भी जानकारी होती है। क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रम और उनसे उठाए गए लाभ का भी ज्ञान इनको रहता है, इसलिए इनका सहयोग बहुत वांछनीय है। काम करने वाले व्यक्ति के सामने यदि वृहद परिप्रेक्ष्य होता है तो उनकी कार्य करने में रुचि, कुशलता और मनोबल सभी बढ़ते हैं। संस्थाओं में निर्देशन, नियंत्रण, सुपरवीजन आदि सुव्यवस्थित होने के कारण कार्यक्रमों में अधिक सफलता मिलती है। ग्रामीण नियोजन में पंचायती राज, सहकारिता, ऐच्छिक संगठनों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इस बात की अधिक आवश्यकता है कि इन संगठनों को मजबूत बनाया जाए।

सहकारिता ग्रामीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह वर्तमान व्यवस्था में आर्थिक उन्नति की दिशा में अत्यधिक योगदान दे सकता है। सहकारिता के प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग लिया जाए जिससे ग्रामीण जनता में सहकारिता के प्रति नई भावना जागृत हो।

कार्यक्रम ग्रामीणों पर जबरदस्ती नहीं लादे जाएं। उनकी क्षमता, रुचि का ध्यान रखा जाए अन्यथा कार्यक्रम थोड़ा चलकर रुक जाएंगे। अफसरशाही ने सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को पूर्णरूपेण सरकारी बना दिया जिससे जन सहयोग अपंग हो गया। ग्रामीण समाज के विकास के लिए यह एक बड़ा खतरा है साथ ही राजनीतिक नेतागिरी ने भी जन सहयोग को झटका दिया है। ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम कैसे हों ? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम स्थानीय साधनों पर अधिक आधारित और विभिन्न वर्गों को शामिल करता हो—उदाहरण के लिए बायोगैस कार्यक्रम का लाभ केवल आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग ही उठा पाते हैं। गरीब लोगों की यह पहुंच के परे की बात है इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों के लोग समूह बनाकर इसका लाभ उठाएं। इसके लिए स्थानीय संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है, वे ही जन सहयोग को उभार कर सामने ला सकती हैं। तकनीकी रूप से भी कार्यक्रम को पूर्ण होना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि ग्राम्य विकास अधिकारी ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए गांव के सम्पन्न व्यक्ति के यहां बायोगैस प्लान्ट जबरदस्ती लगवा दिए हैं परन्तु कुछ समय के बाद ही वे बन्द कर देते हैं। इससे गांव वाले भी इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को स्वीकार करने में हिचकते हैं और जन सहयोग को ठेस पहुंचाते हैं। लक्ष्य को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, इसमें जन सहयोग मिलने की बात तो दूर, अलगाव की भावना बढ़ती है।

स्थानीय विकास में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका

गांवों के विकास में सरकार की रुचि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है न जाने कितनी विकास की योजनाएं ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं। परन्तु इन विकास योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक तो कम पहुंचता है, कार्यक्रम में संलग्न अधिकारी और कर्मचारी तक अधिक। ग्रामीण कार्यक्रम का पूर्ण लाभ उठा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाएं नियोजन से लेकर परिणाम तक साथ रहें। ग्रामीणों में आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता की भावना को उजागर करें।

गांव के स्तर पर युवकों और महिलाओं के कल्याण के लिए युवक मंगल दल और महिला मण्डल कार्यरत हैं। ये संगठन अभी प्रत्येक गांव में नहीं बन पाए हैं उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982–83 तक 35,220 युवक मंगल दल गठित हो चुके हैं, जिनकी सदस्य संख्या 4,61,140 है। आवश्यकता इस बात की है कि ये संगठन मजबूत किए जाएं जिससे गांव के विकास की जिम्मेदारी का दायित्व ऐसी संस्थाओं को सौंपा जा सके। अब इन दोनों संगठनों

की भूमिका को इस प्रकार देखा जा सकता है :-

1. **युवक मंगल दल**—सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवा शक्ति को और अधिक संगठित करके वर्ष 1956 में ग्रामीण क्षेत्रों में युवक मंगल दलों की स्थापना की गई । ग्राम स्तर पर इनका एक छोटा-सा संगठन होता है, जिसमें कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री व कोषाध्यक्ष के पद होते हैं । प्रत्येक दल में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिएं जिनकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए । ये संगठन प्रदेश स्तर तक अपनी कड़ी बनाए हुए हैं । प्रदेश स्तर पर प्रादेशिक युवक समिति का गठन भी इनके सहयोग से ही होता है ।

यह संगठन युवा शक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाए रखने का यत्न किए हुए हैं । इनका मुख्य कार्यक्षेत्र खेलकूद, बागवानी, ग्राम सुरक्षा, श्रमदान आदि रहा है । ग्राम स्तर या क्षेत्रीय नियोजन के समय इनका सहयोग अनिवार्य है । युवकों द्वारा जन सहयोग को अधिक बढ़ावा मिलेगा । इनका सहयोग सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, स्वास्थ्य और सफाई, कुटीर उद्योगों, कृषि नई तकनीकी के प्रयोग, शिक्षा और विशेषकर प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा में आवश्यक रूप से लिया जाए ।

2. **महिला मण्डल**—यह संगठन महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यरत है । इसमें 15 से 30 वर्ष तक या इससे अधिक आयु की रुचि लेने वाली महिलाएं/युवतियां इसकी सदस्य हो सकती हैं । इसमें महिलाएं दोपहर में किसी स्थान पर एकत्रित होती हैं । इसका उद्देश्य महिला में त्याग उत्सर्ग की भावना, कर्मठ जीवन बनाने की प्रेरणा उत्पन्न करना है । जिससे उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो और वे स्वयं सचेत नागरिक बनें । इसके अन्तर्गत बागवानी, पशुपालन सहकारिता, सिलाई, बुनाई, फल संरक्षण, कृषि स्वास्थ्य एवं सफाई, परिवार नियोजन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है और महिलाओं को उत्साहित किया जाता है । भजन-कीर्तन लोकगीतों के द्वारा मनोरंजन भी होता है । आचार, चटनी, मुरब्बा, चिप्स, पापड़, धूम्र रहित चूल्हा, आदर्श शौचालय, कपड़े धोने का चबूतरा आदि बनाए जाते हैं ।

ग्रामीण समाज के उपरोक्त इन दो संगठनों में गांवों की जनता का सर्वांगीण प्रतिनिधित्व होने पर ही विकास की गति तीव्र हो सकेगी । तभी सम्पूर्ण ग्रामीण जनता कार्यक्रम से भली-भांति अवगत होती रहेगी । सरकारी तन्त्र के हस्तक्षेप के बजाय यदि इन संगठनों को विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पहली कड़ी माना जाए और उपलब्धियों तथा कमियों का कड़ा जायजा लिया जाता रहे तो ग्रामीण उत्पादन आदर्श सामाजिक संगठन में अनुकूलतम ढंग से उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकती है । इन संगठनों की कार्यप्रणाली को ऐच्छिक संस्थाओं सहकारी संगठनों से जोड़ कर ग्रामीण विकास विनियोजन प्रणाली का अगले स्तरों—जिला, राज्य, केन्द्र तक ले जाने से वर्तमान सभी प्रकार की क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्याओं से सम्भवतः मुक्ति मिल सकेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं उत्पादन के क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं, उनको नियोजन के प्रत्येक स्तर पर सम्मिलित करना अत्यधिक आवश्यक है जिससे महिलाओं के कार्यक्रम को अधिक व्यावहारिक ढंग से नियोजत किया जा सके । इसका एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम और भी सामने आएगा कि बाल विकास के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों को बनाने में भी महिलाएं शामिल होंगी जो उपयुक्त रहेंगी ।

उपरोक्त नियोजन प्रणाली जिसमें ग्रामीण युवक/युवतियों और महिलाओं के कार्य एवं नियोजन में प्रारम्भिक स्तर पर सक्रिय योगदान का प्रावधान है, वर्तमान चली आ रही मैक्रो स्तरीय नियोजन के स्थान पर प्रतिस्थापित करने से वर्तमान में व्याप्त असंतोष एवं असफलता को निश्चय ही समाप्त किया जा सकता है ।□

गिरि विकास अध्ययन संस्थान,
बी-42, निराला नगर,
लखनऊ

क्या आप जानते हैं कि :

(कुष्ठ निवारण)

● कुष्ठ निवारण के लिए बहु-औषध पथ्यापथ्य नियम (मल्टी ड्रग रेजिमन) अब देश के 12 जिलों में लागू किया जा रहा है ।

● देश में ऐसे 90 से भी अधिक जिले हैं जहां यह बीमारी स्थानीय बीमारी के रूप में फैली हुई है तथा विभिन्न चरणों में इन्हें इस परियोजना के अन्तर्गत लाया जाएगा ।

● नई चिकित्सा मुख्यतः डैपसोन, रिफाम्पिसिन तथा क्लोफैजिमाइन है जो डाक्टर की कड़ी देख-रेख में की जानी चाहिए । इस नई चिकित्सा से इलाज की अवधि घटकर दो वर्ष रह जाती है ।

● दो क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण अनुसंधान एवं प्रेषण (रैफलल) संस्थान पहले से ही कार्य कर रहे हैं, एक अन्य के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा और चार के लिए योजना बनाई गई है ।

● देश में 392 कुष्ठ नियंत्रण इकाइयां, 6980 सर्वे/इलाज केन्द्र, 657 नगरीय कुष्ठ केन्द्र, 246 अस्थाई अस्पताल वार्ड, 74 रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट, 163 जोनल कुष्ठ अधिकारियों के केन्द्र तथा 12 कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो इस खतरनाक बीमारी के उन्मूलन में लगे हुए हैं ।

● राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित किया गया है, वर्ष 1954 में शुरू किया गया था । यह शत प्रतिशत भारत सरकार का एक कार्यक्रम है ।□

माधुरी का गर्म मसाला

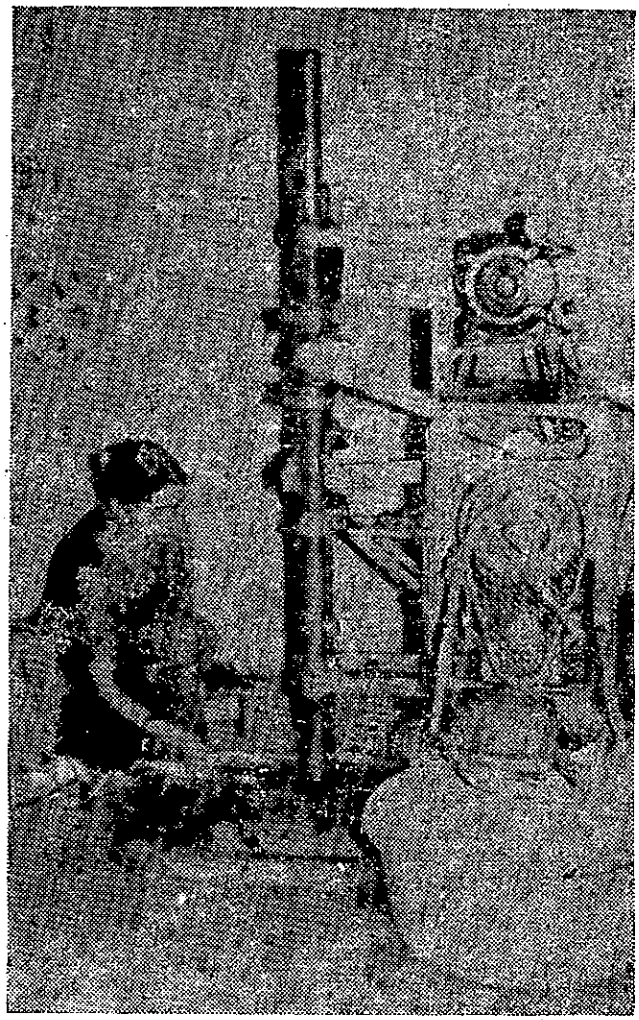

माधुरी मसाला बनाती है। पिछले वर्ष उसने और उसके पति ने 40,000 रुपये का गर्म मसाला बेचा।

माधुरी और उसके पति, रामदास प्रभु शादी के बाद बनदोरा गांव में बस गए। रामदास दसवीं पास था। माधुरी केवल पढ़-लिख सकती थी। दोनों में से किसी को भी रोजगार नहीं मिल सका था। अन्त में उन्होंने गर्म मसाला बनाना शुरू किया और जीवन यापन के लिए इसे बेचने लगे।

गर्म मसाला—मिर्च, कालीमिर्च और अन्य मसालों से बनाया जाता है। घर का बना गर्म मसाला गृहणियों को बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका स्वाद और सुगन्ध गृहणियों की रुचि के अनुसार होती है। आठ वर्षों से माधुरी मसाला बना रही है। रामदास मसाले की बिक्री करता है। वे प्रति माह 200 रुपये कमा लेते थे। गुजारा करना बड़ा कठिन काम था वे। विवश थे।

उनकी हालत मुख्य ग्राम सेविका के ध्यान में लाई गई। उसने उनके व्यवसाय में मशीनों के उपयोग की सलाह दी। मुख्य ग्राम सेविका की सिफारिश पर माधुरी को ग्रामीण विकास एजेंसी से 3,000 रुपये सहायता के रूप में और बैंक आफ महाराष्ट्र से 9,000 रुपये ऋण के रूप में मिले।

इन रुपयों से उन्होंने मसाला पीसने की मशीन और इसके सहायक उपकरण खरीदे।

माधुरी अब अपना समय मिर्च कूटने इत्यादि में खर्च नहीं करती है। अब सारा काम मशीन ही कर देती है। एक किलोग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम और 25 ग्राम की छोटी-छोटी पोलिथीन की साफ थैलियों में मसाला पैक किया जाता है और थोक व परचून की दुकानों के माध्यम से इन थैलियों की बिक्री की जाती है। रामदास व्यक्तिगत रूप से भी "चावदार मसाला" के रूप में अपना मसाला बेचता है।

एक वर्ष में माधुरी ने अपना सारा ऋण चुका दिया है। अब वह सहायक के रूप में कार्य कर रही है। उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ने जाता है। उनका जीवन-स्तर अब बदल गया है।

माधुरी का मसाला अब इतना लोकप्रिय हो गया है कि मशीन द्वारा भी वह मसाले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कठिनाई महसूस कर रही है। □

पहला सुख निरोगी काया

शक्ति और दीर्घ आयु के लिए लहसुन और प्याज

अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार

लहसुन

आयुर्वेद के अनुसार लहसुन रसायन है, पुनः युवा करने वाला है। कोषों को यह उत्तेजित करता है। उनको नया करता है। रक्त बढ़ाता है। इसका गुण गरम है। सालभर इसका नियमित रूप से किसी भी रूप में किसी के भी साथ इसका सेवन किया जा सकता है। चिकित्सकों व आहार शास्त्रियों के निर्देशानुसार यथायोग्य इसके सेवन की विधि में परिवर्तन करने से नीरोग व स्वस्थ रहा जा सकता है। मानने वालों के मत में लहसुन अमृत तुल्य औषध है। यह वात निरोधक रोग मारक व मूत्रवर्द्धक है।

आजकल अत्यधिक मानसिक तनाव से लोग पीड़ित हैं। इनको लहसुन बहुत मुफीद होगा। संस्कृत में इसका नाम लासूना है। हिन्दी और गुजराती में लासन व लहसुन है। मराठी में लासुना है। तेलुगू में टेल्लगुड्डा है। तमिल में वेल्लापुंडु और मलयालम में वेल्लुल्ली नाम है। डाक्टरों का मत है लहसुन से तैयार की गई दवाइयां राजयक्ष्मा व क्षय, कफ और ब्रोन्काइटिस के रोगियों के लिए भी लाभदायक व गुणकारी है।

लहसुन पाचक शक्ति को बढ़ाता है। अन्तड़ियों को परजीवीतत्वों से साफ करता है। यदि इसको नियमित रूप से लिया जाए तो यह शरीर की रोगनिरोधक शक्ति को बढ़ाता है।

दूध में यदि लहसुन को उबाल कर पीया जाए तो यह जीवन को प्रकाशमान व आलोकित करने वाले वल्व के समान सिद्ध हो सकता है। इसको रसोसिद्ध दुग्ध कहते हैं। इसको और अधिक शक्ति व बलवर्द्धक बनाना हो तो रस सिद्ध दूध में शतावरी और गोखुर मिला लीजिए। यह दुर्बलता दूर करेगा, मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही। यह भूख बढ़ाएगा। जोड़ों व शरीर के दर्द व पीड़ा को दूर कर रक्त-संचार तीव्र करेगा। यह जलोदर में लाभकारी है। वृक व गुदा की सूजन को दूर करता है।

गन्धकवटी आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषध है। अदरक, कालीमिर्च, नमक लहसुन और जीरा के बीजों का यह मेल है। भोजन के बाद दो गोली लेने से यह गैस दूर करेगा। इसके नित सेवन से अजीर्ण, मन्दाग्नि दिल की जलन दूर होगी। गंधकवटी दो या तीन महीने सेवन करने से स्वस्थता, नीरोगिता अनुभव होगी। कम हुआ भार भी बढ़ सकता है।

लहसुन के रस में सरसों व तिल के तेल की दो बूंद डाल करके गरम कर कान में डालने से कान का दर्द दूर होगा। कान में पस न पड़ेगी। लहसुन के गर्म रस में जख्म को धोने से आराम होगा। लहसुन, प्याज, लाल मिर्च के मेल से बनी बटी से हैजा के रोगी मौत से बचाए गए हैं। वातउन्माद, मूर्छा, बदहोशी या हिस्टिरिया की रोगी स्त्रियों को लहसुन का सेवन करने से लाभ होगा। वातशूल व न्यूरालजिया से पीड़ित व्यक्ति सर्दियों में लहसुन का सेवन कर लाभान्वित व सुखी होंगे। जिन लोगों को लहसुन अनुकूल न हो उनको यथासंभव इसका सेवन न करना चाहिए।

प्याज

भारतीय आयुर्वेद के समान चीनी आयुर्वेद का आधार जड़ी-बूटियां हैं। 104 वर्षों के एक चीनी ने अपनी लम्बी आयु होने का रहस्य बताया है कि वह लहसुन और प्याज का सेवन करता है और शाम एक पैग अल्कोहल-मदिरा पीता है। लहसुन हृदय का टानिक है। यह रक्त प्रवाह की गति चक्र को तीव्र करता है।

प्याज : प्याज नर-नारी में कामुकता बढ़ाता है। लन्दन व अमेरिका के डाक्टर मानते है लहसुन व प्याज का सेवन नियमित रूप से रोज सेवन करने से खून के नाड़ियों में जमने को कम करता है। वैद्यों के अनुसार प्याज वात-विकार-निवारक एक उत्तम औषध है। कफ को यह पिघलाता है। इससे निकला तेल, स्फूर्ति देता है। रोगी के पैर ठंडे हो गए हों तो प्याज का रस सारे शरीर पर मलने, मालिश करने या रस पिलाने से बल शक्ति और ताकत आएगी। यदि आदमी बेहोश हो गया हो तो, ताजे प्याज को कुचलकर देने से बेहोशी दूर हो जाएगी। इसका फ्यूम-तीव्र गन्ध बेहोशी दूर कर देगा। कान में दर्द हो तो ताजे प्याज का रस कान में डालने से लाभ होगा।

गांवों के लोग थकावट व थकान दूर करने के लिए आज भी प्याज और गुड़ खाते है। गांव वालों के लिए प्याज कस्तूरी है।

प्याज का संस्कृत में नाम प्लांडू है। गरुड़ पुराण में इसके गुणों और इससे

होने वाले लाभों का विस्तार से विशद वर्णन किया गया है। प्याज को "कनदर्प वरोष्यवती" कहा गया है। महर्षि आवेय और धन्वन्तरी ने भी प्याज की महिमा बखानी है। प्याज के साथ नरमेग मेस इलाइचीदाना, लौंग, दालचीनी को मिलाकर मूकुना पुरोयंस कोंचा बीजों को मिलाकर प्रातः और सोने के समय खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। यह टानिक का काम करता है। प्याज का सेवन स्त्रियों के मासिक को नियमित करता है। सन स्ट्रोक पर लू लगने पर प्याज खाने से प्यास शान्त होती है। सूर्य ताप का असर कम होता है। तलवे में प्याज रगड़ने से ज्वर कम हो जाता है प्राचीन काल में दूर की यात्रा करने वाले नाविक और मल्लाह अपने साथ प्याज ले जाना कभी नहीं भूलते थे।

अतः प्याज जिस किसी रूप में सेवन करना न भूले। मुख की दुर्गन्ध दूर करने के लिए केसर, धनिया जीरा का सुवास बना लीजिए। मुख सुवासित रहेगा। प्याज से परहेज करने की गलती कभी न करें। राजनीति में तो यह सत्ता दिलाने वाला है। व्यापार में निर्यात व्यापार बढ़ाने वाला है। फिर क्यों न प्याज का उत्पादन बढ़ाएं।

इतिहास सदन,
ए-239, पंडारा रोड,
नई दिल्ली-110003

लघु कथा

नया आयाम

राजेन्द्र परदेसी

भगौती सिंह का परिवार गांव के सम्पन्न परिवारों में गिना जाता था। पचास बीघे की जोत थी उनकी। ट्रैक्टर, ट्यूबवैल, खेतों में लहलहाती एक के बाद एक फसल।

हर दृष्टि से सम्पन्न होने के बावजूद भगौती सिंह को एक बात हमेशा सालती रहती। वह पढ़-लिख नहीं सके थे। उनके अपने बेटे, प्रकाश के पास से जब भी कोई पत्र आता है उसे लेकर वह काफी देर तक इधर-उधर पलट कर अक्षरों को गौर से देखते और मन ही मन सोचते—काश इन अक्षरों को मैं बांच सकता। फिर शिवपूजन मास्टर के पास पढ़वाने चल पड़ते।

उनकी पीड़ा उस समय असहनीय हो जाती थी जब मास्टर शिवपूजन अपना कोई काम कर रहे होते और उनसे इंतजार करने को कहते। ऐसे में भगौती सिंह को अपनी पचास-बीघे की जायदाद मास्टर की विद्या के सामने तुच्छ लगती।

जब से लोचना ने उन्हें बताया कि आज से दशरथ मिसिर के द्वार पर रात्रि-पाठशाला चालू हो रही है, वह उसके बारे में अधिक कुछ जानने के लिए उत्सुक थे। इसीलिए उस दिन खेत से जल्दी ही लौट पड़े। रास्ते में मिसिर और चौधरी दोनों ही मिल गए तो पूछ पड़े, "मिसिर! सुना है, तुम्हारे द्वार पर आज से रात्रि पाठशाला चला करेगी?"

"चलेगी तो, लेकिन तुम्हें क्या लेना-देना?" मिसिर ने संक्षिप्त-सा उत्तर देने के साथ उल्टे सवाल उछाल दिया।

"क्यों, मुझे लेना-देना क्यों नहीं है?"

"तो क्या इस उम्र में पाठशाला में पढ़ने जाओगे? अच्छा लगेगा?"

मिसिर ने ठाकुर के मन की बात बेधने के लिए व्यंग्य-बाण छोड़ा तो भगौती सिंह तिलमिलाकर बोले, "पढ़ने-लिखने से उम्र का क्या नाता? कभी भी पढ़ा जा सकता है।... कौन मुझे नौकरी करनी है।"

"तो फिर करना क्या है?"

"मिसिर तुमसे क्या छिपाना। जब भी प्रकाश या किसी और के पास से पत्र आता है तो उसे पढ़ाने के लिए किसका-किसका मुंह नहीं ताकना पड़ता? पढ़ लेंगे तो...।" साथ ही मिसिर से पूछ बैठे, "तुम नहीं पढ़ोगे क्या?"

"सोच तो रहा हूं।"

"तो फिर मुझसे क्यों ऐसी बातें कर रहे हो?"

"इसलिए कि तुम कहते थे कि आदमी के पास पैसा हो तो सब कुछ कर सकता है।"

"नहीं मिसिर, अब हमने अनुभव कर लिया है कि पढ़ा-लिखा न होने से मैं कितना बौना होता जा रहा हूं।"

"तब क्या सोचा है?"

"सोचना क्या। हम लोग आज से ही वहां चलेंगे।"

"और कौन?"

"अरे, चौधरी जो है।" फिर चौधरी की ओर मुखातिब होकर ठाकुर बोले, "क्यों चौधरी चलोगे न?"

काफी देर बाद चौधरी को बोलने का मौका मिला था इसीलिए बोले, "तो क्या, तुम लोग यही चाहते हो कि हम दोनों पढ़ लें और चौधरी अनपढ़ का अनपढ़ रह जाए?"

"हम लोग ऐसा क्यों चाहेंगे? अब तक साथ-साथ खेले-कूदे और सयाने हुए।...यह तो अच्छा मौका है कि बचपन में नहीं पढ़े-लिखे तो अब ही पढ़ लें।"

ठाकुर की ओर से मिसिर ने ही स्थिति स्पष्ट की तो चौधरी बोले, "तो ठीक है। हम सब आज ही से वहां चलेंगे।" □

निकट त्रिपाठी चित्र मंदिर,
गांधी नगर, बस्ती (उ० प्र०)

श्रीनिकेतन—ग्रामीण पुनर्निर्माण में टैगोर के प्रयोग

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। वे एक महान कवि, कथाकार, चित्रकार, संगीतकार एवं दार्शनिक थे। वे एक महान शिक्षाविद् तथा सुधारक भी थे।

देश के प्रत्येक गांव को समृद्ध और सुखी बनाने की उनकी इच्छा थी। यह लेख उनके द्वारा वर्ष 1922 में ग्रामीण विकास के लिए स्थापित पहली भारतीय संस्था पर कुछ प्रकाश डालता है।

भारत के ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं ग्रामीण जीवन के पुनः उत्थान के प्रयत्नों को विश्व में अपने ढंग के सबसे बड़े विकासात्मक कार्यक्रम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामवासियों की दशा सुधारने के कार्य को काफी महत्व दिया गया तथा वर्ष 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही इस कार्य को विशेष महत्व दिया जाता रहा है।

भारतीय गांवों के विकास तथा उन्हें एक स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में विकसित करने के बीज, जिसे बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने महत्व दिया, सर्वप्रथम डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर ने ही श्रीनिकेतन में बोए थे।

अभिजात्य शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद महाकवि का ग्रामीण जीवन से पहला सीधा सम्पर्क सियालदह तथा पतिसार के गांवों में ठहरने के समय हुआ। वहां रहते हुए उन्हें ग्रामीण जनता के कष्ट तथा शोषण का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। उन्होंने उनकी गरीबी और शोषण का काफी करीब से अध्ययन किया तथा उनके शब्दों में, "मेरी आंखों के सामने उनकी गरीबी और कष्ट धीरे-धीरे स्पष्ट होते गए और मैं बेचैन हो गया। इस अनुभव के बाद मैं लोगों के हृदय को आन्दोलित करने उठ खड़ा हुआ ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह स्वयं कर सकें।"

टैगोर ने यह अनुभव किया कि कृपा करने की शहरी प्रवृत्ति के साथ ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य एक निष्फल कार्य होगा। उन्होंने इस ओर राजनीतिज्ञों को उत्साहित किया और गांवों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने गांवों में सहयोग की भावना के विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में उन्हें सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने श्रम की बचत के उपायों, कुटीर उद्योग के पुनरुत्थान तथा सामुदायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के उपयोग पर बल दिया।

उन्होंने श्रीनिकेतन में अपने विचारों को कार्य रूप दिया। उन्हें श्रीनिकेतन को इस रूप में परिवर्तित करने तथा इसे एक आत्मनिर्भर और सम्मानित गांव बनाने में श्री एमहर्स्ट तथा श्री एन्ड्रयूज की सहायता मिली। यह श्रीनिकेतन का ऐसा रूप था जिसने देश की सांस्कृतिक परम्पराओं को सुरक्षित एवं ऊंचा उठाए रखा।

ग्रामीण भारत की समस्याओं का दस वर्ष तक गहराई से अध्ययन करने के फलस्वरूप रवीन्द्रनाथ टैगोर ने नए गांव की एक स्पष्ट कल्पना की। उनका विश्वास था कि ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम की जड़ें जमीन में होनी चाहिए तथा आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक का उसमें उपयोग होना चाहिए। उनकी योजना का लक्ष्य न केवल ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना था बल्कि एक शिक्षित, स्वस्थ तथा सुखी ग्रामीण वर्ग का विकास करना था। उन्होंने अपना विकास का कार्यक्रम 6 फरवरी, 1922 को प्रारम्भ किया।

उन्होंने अपने पुत्र रथीन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक कृषि का अध्ययन करने विदेश तथा अपने शिष्यों को सहकारिता प्रणाली के कार्यों का अध्ययन करने स्कैन्डीनेवियाई देशों में भेजा। अनेक लोग पशुपालन की आधुनिक तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने भेजे गए थे। उन्होंने अच्छे नस्ल के पशुओं का सिन्ध से आयात किया तथा मिश्रित खेती के महत्व पर बल दिया। उनके द्वारा शुरू किए गए ग्रामीण पुनर्निर्माण के श्रीनिकेतन विद्यालय ने आसपास के अधिक से अधिक गांवों तक अपनी कृषि शिक्षा को पहुंचाया। विद्यालय ने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों तथा ग्रामीण मनोरंजन की योजनाओं को ग्रामीण तथा देहाती नाटकों आदि के माध्यम से लागू किया। टैगोर के मार्गदर्शन तथा डा० एमहर्स्ट तथा कालीमोहन घोष जैसे समर्पित व्यक्तियों के कारण श्रीनिकेतन आज के लोगों में एक नई जागृति पैदा करने तथा एक नए उत्साह तथा शक्ति के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। अब गांवों के विकास के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ टैगोर की सफलता इस बात से स्पष्ट होती है कि यह आज भी योजना बनाने वालों का मार्गदर्शन करता है। उनके स्वप्न धीरे-धीरे पूरे हो रहे हैं तथा आज उन्हें मूर्त रूप दिया जा रहा है। □

गोवा वर्ष 2000 तक जन्म-दर में कमी के निर्धारित लक्ष्य के निकट

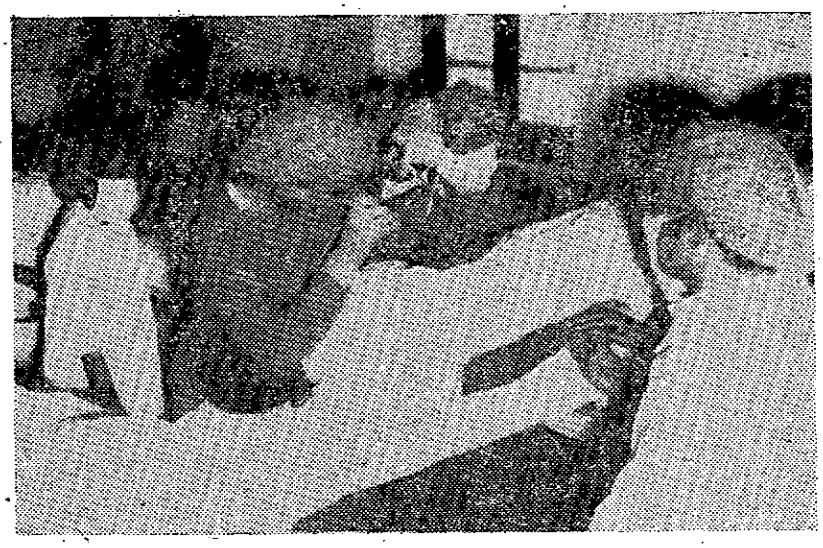

वर्ष 2000 ई० तक देश में जन्म दर को घटाकर 21 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत के राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में से गोवा इस लक्ष्य को सन् 2000 से बहुत पहले प्राप्त कर लेगा।

वर्ष 1982 में गोवावासियों की जन्म दर 21.35 प्रति हजार थी।

यद्यपि गोवा के लोग परिवार को छोटा रखने के लिए लूप, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध और चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन की परम्परागत विधियों को अपना रहे हैं परन्तु अब गोवा में लैप्रोस्कोप द्वारा महिला नसबंदी लोकप्रिय होती जा रही है। अक्तूबर 1983 तक पोंडा, मापूसा, वलपोई, कुरचोरेम, बाईचोलिम, कानाकोना, पेरनम जैसे स्थानों पर आठ लैप्रोस्कोपिक शिविर आयोजित किए गए। प्रत्येक नसबंदी कराने वाली महिला को 330 रु० प्रोत्साहन के रूप में दिए गए। इनमें अधिकतर महिलाएं ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की थीं।

इस वर्ष फरवरी के शुरू तक 3837 नसबंदी के आप्रेशन किए गए और इस प्रकार 1983–84 के निर्धारित 3,500 नसबंदी के आप्रेशनों के लक्ष्य को पार कर लिया गया। अनुमान है कि मार्च, 1984 तक विभिन्न विधियों द्वारा 4000 नसबंदी के आप्रेशन किए गए।

गोवा में 25 अस्पताल और नर्सिंग होम तथा 13 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र हैं। अस्पतालों और परिवार कल्याण केन्द्रों द्वारा वर्ष 1983–84 के दौरान परिवार नियोजन के अन्य तरीकों को अपनाकर इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की गई है। फरवरी, 1984 के शुरू तक 1,111 लूप लगाए गए तथा 4803 व्यक्तियों ने निरोध का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करने वालों की संख्या में 1,163 की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त लगभग 1,500 महिलाओं ने चिकित्सीय पद्धति द्वारा गर्भ समापन कराया।

इस केन्द्रशासित क्षेत्र के 186 परिवार नियोजन क्लीनिकों के जरिये विवाहित दम्पतियों को परिवार नियोजन और बच्चों के जन्म में अंतर रखने के बारे में परामर्श और गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। □

ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री हरिनाथ मिश्र ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वर्ष 1983-84 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यह इस बात से जाहिर है कि प्रति व्यक्ति निवेश 3,208 रु० तक पहुंच गया है। मंत्री महोदय ने कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक करोड़ 50 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया और वर्ष 1983-84 के अन्त तक एक करोड़ 20 लाख परिवारों को सहायता दी गई जिनमें 42 लाख 60 हजार परिवार, अनसूचित जातियों और जनजातियों के हैं। इस कार्य के लिए निर्दिष्ट 98.8 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया। मंत्रीमहोदय ने विश्वास व्यक्त किया कि छठी योजना के लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिए जाएंगे क्योंकि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के कार्य का आधार तैयार हो चुका है।

मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाथ में ली गई अन्य परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983 84 में 30 से 40 करोड़ श्रम दिवसों के सृजन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के लिए 1920 करोड़ रु० के योजना के वास्तविक परिव्यय से अधिक होने की संभावना है। मंत्री महोदय ने इस बात की विशेष रूप से चर्चा की कि राज्य सरकारों के परियोजना लागत के 50 प्रतिशत खर्च को सामान पर खर्च करने की अनुमति देने के केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है क्योंकि इससे कार्य में सुधार होगा।

श्री मिश्र ने कहा कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तसल्लीबख्श शुरुआत हुई है और केन्द्र सरकार ने 21 से अधिक राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में फैली 467 करोड़ रु० अनुमानित लागत की 150 परियोजनाओं स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बद्ध कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत अनाज के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर 16 जनवरी, 1984 से निगरानी रखी जा रही है ताकि गांवों के गरीब लोगों के आहार की पौष्टिकता में सुधार लाने को सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री महोदय ने कहा कि केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता का पूरा खर्च वहन कर रही है और इसके लिए 1984-85 के बजट में 24 करोड़ 50 लाख रु० की व्यवस्था रखी गई है। □

संकल्प ✳ मनोरमा तिवारी

सृजन संकल्प किरनीले
धरा के नयन सपनीले
वृहत् आकाश उज्ज्वल हो
प्रकाशित देश का कल हो,
हरित भूखंड दानी हो
कि श्रमगंगा सुहानी हो,
विपुल विश्वास फैला हो
मधुर मधुमास बेला हो,
चिरन्तन कीर्ति निर्मल हो
प्रभासित देश का कल हो,
नवल निर्माण करना है
जगत में हास भरना है,
सदा भयमुक्त विचरण हो
नहीं असमान वितरण हो,

अबल को भी मिला बल हो
सुहासित देश का कल हो,
पुनीता प्रीति वरदानी
अजय हो वीर अभिमानी,
प्रबलतम चेतना जागे
नियति की क्रूरता भागे,
परम उत्कर्ष का पल हो
सुशोभित देश का कल हो,
समय पर जय करो वीरो
सफलतम पग धरो धीरो,
अभय नित राष्ट्र जनगण हो
प्रगति का एक ही प्रण हो,
चरम आदर्श संबल हो
अशंकित देश का कल हो।

मनीषा भवन साईं मंदिर,
पश्चिमी निवाड़गंज,
जबलपुर म० प्र०

केन्द्र के समाचार

पोषाहार कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित

पिछले वित्त वर्ष के दौरान, केन्द्रीय खाद्य विभाग के खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड द्वारा आयोजित कई पोषाहार विस्तार कार्यक्रमों से आदिवासी क्षेत्रों के और अधिक लोगों, विशेषकर गृहणियों को लाभ हुआ है। देश के विभिन्न भागों में स्थित बोर्ड की चलती फिरती विस्तार इकाइयों ने 1983–84 में सस्ती खाद्य वस्तुओं से पोषाहार तैयार करने के वैज्ञानिक प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, फिल्म आदि के 22,350 कार्यक्रम आयोजित किए, जबकि पिछले वर्ष 19,455 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अधिकांश कार्यक्रम राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित किए गए। इन पोषाहार कार्यक्रमों से वर्ष 1982–83 में 6 लाख 70 हजार लोग लाभान्वित हुए जबकि वर्ष 1983–84 में 6 लाख 80 हजार लोग लाभान्वित हुए। इनमें से अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों की संख्या वर्ष 1982–83 में 2 लाख 24 हजार थी, जबकि इसकी तुलना में 1983–84 में यह संख्या 2 लाख 87 हजार हो गई। चलती फिरती इकाइयां घर-घर जाकर गृहणियों को वास्तविक रूप से प्रयोग करके दिखाकर पोषाहार के महत्व को समझाने के कार्य में संलग्न हैं।

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने की योजना में प्रगति

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) 1979–80 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहायक कार्यक्रम के रूप में चलाई गई थी। यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को उद्यमी बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों, तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर युवकों को सहायता अथवा ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि यह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से छोटे उद्योग धन्धे लगा सकें। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष प्रत्येक खण्ड में औसतन 40 युवकों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश में 876 खण्ड हैं। इसके लिए पैंतीस हजार चालीस युवकों को प्रशिक्षण देने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में अपना रोजगार स्वयं चलाने वाले प्रशिक्षण प्राप्त युवकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवकों में से 67 प्रतिशत युवक स्वयं अपना रोजगार चला रहे हैं।

ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की योजना

सरकार ने नौ राज्यों के 595 विकास खण्डों में चल रही ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की योजना को 15 राज्यों के 1,000 विकास खण्डों में बढ़ाने का निर्णय किया है। इस योजना का विस्तार असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं पांडिचेरी राज्यों में किया जाएगा। इस योजना के आयोजक ग्रामीण निर्धनों को संगठित होने के महत्व, उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं तथा विभिन्न कल्याणकारी कानूनों के प्रयोग के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करते हैं। मानद ग्रामीण आयोजक, पूर्णकालिक वेतन-भोगी सरकारी कर्मचारी न हो कर मूल रूप से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें उनके पिछले कार्यों, संगठन की क्षमता, ज्ञान एवं ग्रामीण निर्धनों के प्रति वचनबद्धता के आधार पर चुना जाता है। इन आयोजकों के चयन––मानदण्डों को हाल ही में साक्षरता के प्रतिशत एवं योजना में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को अधिक संख्या में शामिल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

ग्रामीण विकास पर विशेष बल

केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास पर विशेष बल देने के फलस्वरूप वर्ष 1983–84 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस दौरान प्रति व्यक्ति निवेश 3,208 रुपये तक पहुंच गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक करोड़ पचास लाख ग्रामीण परिवारों को सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1983–84 के अन्त तक एक करोड़ 20 लाख परिवारों को सहायता दी गई। इस दौरान 30 से 40 करोड़ श्रम दिवसों के सजन का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने 21 से अधिक राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 470 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 150 परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

लाभकारी ग्रामीण उद्योग : रेशम कीड़ा

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सरकार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किसानों के कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इन सबमें रेशम उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग के कीट शहतूत

वृक्षों की पत्तियों से पलते हैं। यह कुटीर उद्योग वृक्षारोपण के 3–4 वर्ष बाद शुरू किया जा सकता है। रेशम कीट-अण्डे राई समान होते हैं जिनसे बारीक काली चींटी की तरह रेशम कीट निकलता है। प्रारम्भ में 10 दिन तक ये छोटे-कीड़े राजकीय कीटपालन केन्द्रों पर पाले जाते हैं और उसके बाद इन्हें कीटपालकों को मुफ्त बांट दिया जाता है। कीटपालक इन कीटों को अपने घरों में ट्रे में फैला देते हैं। महीन कटी हुई शहतूत की पत्ती खिलाते हैं। 15–20 दिन बाद कीट से कोया बन जाता है। इस कोये से 600 मीटर से 800 मीटर तक महीन रेशम का तार निकलता है। इन कोयों को सहकारी समितियां क्रय कर लेती हैं और इन्हें सहकारी रेशम फिलेचर प्रेम नगर, देहरादून को रेशम का धागा रोल करने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार से रेशम कीट के कोयों को बेच कर पैसा कमाया जा सकता है।□

सम्पादकीय....

[आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश]

ये लोग न तो अपने दुधारू पशुओं को संतुलित खाद्य, बांट व चारा दे सकते हैं और न पशुओं से पूर्ण पौष्टिक दूध ले सकते हैं तथा न उनकी पूरी क्षमता का उपयोग ही कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता इनके लिए एक स्वप्न स्वरूप है और बमुश्किल ये पशुओं का पेट पालते हुए अपनी गुजर बसर में आंशिक रूप से इन पशुओं का सहारा लेते हैं।

इन सब दुधारू पशु पालकों की आर्थिक स्वतंत्रता का एक मार्ग यह हो सकता है कि हर गांव में इनकी एक सहकारी समिति गठित की जाए। इनके पशुओं के चारे की खपत का हिसाब लगाकर इसे हित पर्याप्त-भर भूमि समिति को दी जाए तथा आपरेशन फ्लड की तरह डेयरी संबंधी सब सुविधाएं इन्हें मुहैया की जाएं और इनको पूरी तरह दुग्ध उत्पादकों के रूप में काश्तकारों से पूर्णतया स्वतंत्र आर्थिक रूप से विकसित किया जाए। इस प्रकार गांवों के सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। जिसके लिए आपरेशन फ्लड से पूर्ण मार्गदर्शन मिलता है।

अध्ययन बताता है कि श्वेत क्रांति प्रथम (आपरेशन फ्लड-1) (1–7–1970 से 31–3–1981) से देश में दूध का वार्षिक उत्पादन 2.07 करोड़ टन से बढ़कर 3.02 करोड़ टन हो गया और इसने 17 लाख ग्रामीण कुटुम्बों को बेरोजगारी तथा अपर्याप्त रोजगारी की हालत से निकाला। श्वेत क्रांति द्वितीय (आपरेशन फ्लड-2) जो आपरेशन फ्लड-1 का विस्तार स्वरूप, 2 अक्टूबर 1979 को शुरू किया गया उसके कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप ऐसे परिवारों की संख्या 1 करोड़ करने का लक्ष्य है। अध्ययन से ये भी पता चला है कि भूमिहीनों और छोटी जोत वालों ने श्वेत क्रांति (आपरेशन फ्लड कार्यक्रम) को बड़े चाव से अपनाया।

श्वेत क्रांति प्रथम तथा द्वितीय (आपरेशन फ्लड 1 तथा 2) ने दुग्ध सहकारियों का गठन कर, दूध संग्रहण तथा परिष्करण, पशुपालन सेवाओं, पशु खाद्य उत्पादन, कृत्रिम पशु गर्भाधान तथा सहकारी शिक्षा को बढ़ावा दिया है। सदस्यों में पशुओं और अपने परिवार को स्वस्थ रखने, संतुलित पोषक खाद्य मुहैया करने और परिवार नियोजन की भावना को दिलों में बैठाने के काम में अनुपम योग दिया है। नई तकनीक से पशु पालने की विधि के माध्यम से उन्होंने यह सब कुछ सीखा और साथ ही इसे अपने परिवार के लिए भी अपनाया।

खेत वाले परिवार अपनी खेती देखें, दुग्ध उत्पादन वाले स्वतंत्र रूप से अपने पशु पालें और लघु और ग्रामीण उद्योग तथा अन्य धंधे ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जिनके उत्पादों की मांग खूब हो। फिर मजदूरों को भी अच्छी मजदूरी और इज्जत दोनों मुअस्सर होंगी चूंकि उनकी संख्या कम रह जाएगी। उनकी अनदेखी कोई नहीं करेगा। इसके साथ ही सारे गांव का आपूर्ति भंडार हो जहां से हर जरूरत की चीज गांव वालों को मिल सके। इस प्रकार स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों का स्वतंत्र रूप से विकास होने में सहयोग मिलेगा। □

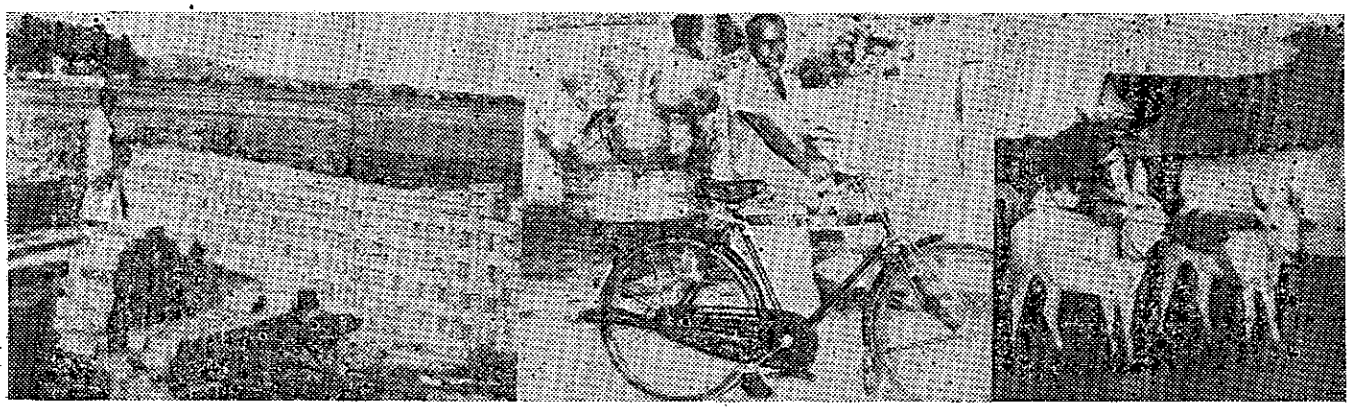

तमिलनाडु के गांवों में नई भोर की दस्तक

सहकारी संस्थाओं तथा बैंकों के योगदान और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निष्ठापूर्ण क्रियान्वयन द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है।

त्रिनेलवेल्ली जिले के वाल्ताकोईल गांव में अधिकतर लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। ये लोग बहुत अधिक गरीब हैं। स्थानीय कृषि विकास बैंक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और एक सहकारी संस्था द्वारा किए गए सतत् प्रयासों के फलस्वरूप अब इस गांव की काया पलट गई है। दुधारू पशु खरीदने के लिए 19 ग्रामवासियों में से प्रत्येक को दो हजार रुपये का ऋण दिया गया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी सहायता के लिए आगे आई। त्रिनेलवेल्ली सहकारी दुग्ध आपूर्ति समिति ने इनको ऋण प्रदान करने के लिए गारन्टी ली और दुग्ध का वितरण करने का कार्य अपने हाथ में लिया। सभी लाभान्वित लोग इस समिति के सदस्य हैं। उनकी ऋणों की किश्तें नियमित रूप से चुकाई जा रही हैं और विश्वसनीय आय और प्रत्यक्ष सम्पत्ति होने के कारण वाल्ताकोईल गांव को नया जीवन मिलने की आशा है।

इसी गांव के सुब्बैया को ईंटें बनाने के लिए 5,000 रुपये का ऋण दिया गया। उसने अपना ऋण वापस चुका दिया है और एक ठेले और दो बैलों का जोड़ा खरीदने हेतु नए ऋण के लिए आवेदन किया है। अब वह चार लोगों को रोजगार मुहैय्या करा रहा है।

अड़ाई मठापाकुलम गांव का शंकर-लिंगम एक अन्य व्यक्ति है जो गरीबी के शिकंजे से मुक्त हुआ। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त पाए गए इस व्यक्ति को यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने स्वरोजगार के लिए एक हजार रुपये का ऋण दिया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने 33.3 प्रतिशत राशि सहायता के रूप में दी। उसने इस राशि से अल्युमिनियम के घरेलू बर्तन बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका काम चल निकला। अब उसने साइकिल खरीद ली है जिससे उसको अपना धंधा चलाने में और अधिक आसानी हो गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार पाने के लिए एक अन्य व्यक्ति एस० सुब्बैया कोनार की भी सहायता की गई है। उसे ठेला गाड़ी और बैल खरीदने और पशुओं के लिए शैड का निर्माण करने हेतु सात हजार रुपये का ऋण दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने भी इसमें अपना योगदान दिया। आज वह गांव का ट्रांसपोर्टर बन गया है और उसकी मांग भी अच्छी है। □

आर० एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-Payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

पशुओं के लिए शुद्ध जल, संतुलित खाद्य और स्वस्थ वातावरण का अर्थ है मनुष्यों के लिए सुख-समृद्धि का सृजन

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।